

Ref :: SD:403/404/11/12::2024-25

Date: 28.10.2024

The Vice President BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street MUMBAI - 400 001 Scrip Code: 532483	The Vice President Listing Department National Stock Exchange of India Ltd EXCHANGE PLAZA Bandra-Kurla Complex, Bandra [E] MUMBAI - 400 051 Scrip Code: CANBK
--	--

Dear Sir/Madam,

Sub: Notice of Extraordinary General Meeting (EGM) – 27.11.2024

Ref: SD:339/340/11/12::2024-25 dated 27.09.2024

With reference to the above, the Stock Exchanges are hereby informed that the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank is scheduled as per the details given below: -

1	Date/Time of EGM	Wednesday, 27 th November, 2024 at 11.00 a.m. (1ST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM).
2	Agenda / Business	Election of One shareholder Director amongst the Shareholders other than Central Government pursuant to the provisions under Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act , 1970
3	Specified /Cut-off Date	Wednesday, 23 rd October 2024 –To nominate, contest and vote at the meeting
4	Remote E-voting	From 09.00 A.M. on Saturday, 23 rd November 2024 to 5.00 P.M. on Tuesday 26 th November 2024, the (both days inclusive)
5	Last date for submission of nominations	Tuesday, 12 th November 2024 up to 5.00 P.M

In this connection, we enclose the **Notice of Extraordinary General meeting of the Shareholders of the Bank** for placing on the website of the Exchanges. The same is available on the website of the Bank at www.canarabank.com

This is for your information and appropriate dissemination.

Yours faithfully,

**SANTOSH KUMAR BARIK
COMPANY SECRETARY**

सचिवीय विभाग
प्रधान कार्यालय
112, जे सी रोड, बेंगलूरु - 560002
E-Mail - hosecretarial@canarabank.com

Secretarial Department
Head Office
112 J C Road, Bengaluru - 560002
www.canarabank.com

F +91 80 22248831
T +91 80 22100250

केनरा बैंक

भारत सरकार का उपक्रम

Canara Bank

A Government of India Undertaking



सिंडिकेट Syndicate

Together We Can

असाधारण आम बैठक की सूचना (एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन)

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से

Notice of Extraordinary General Meeting (Election of one Shareholder Director)

Through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM)



असाधारण आम बैठक की सूचना
(एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन)

Notice of Extraordinary General Meeting
(Election of One Shareholder Director)

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की एक असाधारण आम बैठक बुधवार, 27 नवंबर 2024 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से निम्नलिखित कारोबार करने के लिए आयोजित की जाएगी :

कार्यसूची मद संख्या 1 :

बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 9 (3) (प) के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक का निर्वाचन करने के लिए, जिनके संबंध में वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद 'बीआर अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद 'प्योजना' के रूप में संदर्भित) और केनरा बैंक (शेयर और मीटिंग) विनियम, 2000, संशोधित के रूप में (इसके बाद 'विनियम' के रूप में संदर्भित) अधिनियम की धारा 19 के अनुसरण में बनाया गया, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 संशोधित के रूप में (इसके बाद सेबी सूचीकरण विनियम के रूप में संदर्भित) और आरबीआई मास्टर निदेश संख्या DBR.Appt.No 9/29.67.001/2019-20 और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या DBR.Appt.No: 39/29-39-001/2016&17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 (जिसे आगे "आरबीआई मास्टर निर्देश" कहा जाएगा और इसमें आगे संशोधन, यदि कोई हो) को भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में विचार के लिए जारी दिशा-निर्देशों (जिसे आगे "जीओआई दिशानिर्देश" कहा जाएगा) और इसमें आगे संशोधन, यदि कोई हो, के साथ पढ़ा जाए, और निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करें: -

'संकल्प लिया जाता है कि अधिनियम की धारा 9(3)(प) के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से एक निदेशक को प्रासंगिक योजना, उसके तहत बनाए गए विनियमों, आरबीआई मास्टर निर्देशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ निर्वाचित किया जाएगा और इसके द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो 30 नवंबर 2024 से पदभार ग्रहण करेगा और इस तरह के ग्रहण की तारीख से तीन साल की अवधि पूरी होने तक पद पर रहेगा'।

उपर्युक्त चुनाव और संकल्प को सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 25(2ए) के प्रावधानों के तहत भी माना जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश

कृते केनरा बैंक

प्रबंध निदेशक व मु.का.अ.

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 28.10.2024

NOTICE

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on Wednesday, the 27th November 2024 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following business:

Agenda Item No. 1:

To elect one Director from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government, in respect of whom valid nominations have been received, in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "the Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the B R Act") and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "the Scheme") and Canara Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000, as amended (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended (hereinafter referred to as SEBI Listing Regulations) and RBI Master Direction Nos. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 and Notification Nos. DBR.Appt.No: 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Master Directions" and further amendments thereto, if any) read with Guidelines issued by Government of India for consideration as Non Official Directors of Public Sector Banks (hereinafter referred to "GOI Guidelines ") and further amendments thereto, if any, and pass the following resolution: -

"RESOLVED THAT One Director elected from amongst Shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, RBI Master Directions and GOI Guidelines, be and is hereby appointed as a Director of the Bank to assume office from 30th November 2024 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

The aforesaid Election and the Resolution shall also be considered to be under the provisions of Regulation 25(2A) of SEBI Listing Regulations.

By Order of Board of Directors

For CANARA BANK

Managing Director & CEO

Place: Bengaluru
Date: 28.10.2024

नोट:

1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक के कार्य के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से असाधारण आम बैठक (ईजीएम)

एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय) ने मई 2020 से जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से, जिसमें 05 मई 2022 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022, 25 सितंबर 2023 को जारी परिपत्र संख्या 09/2023 और 19 सितंबर 2024 को जारी 9/2024 शामिल हैं, कंपनियों को 30 सितंबर 2025 तक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से अपनी ईजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। सेबी ने भी एमसीए द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्रों के अनुरूप, 03 अक्टूबर 2024 के अपने परिपत्र के माध्यम से सूचीबद्ध संस्थाओं को छूट प्रदान की है।

इस ईजीएम के लिए निर्धारित स्थान बेंगलूरु में केनरा बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।

3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के लिए शेयरधारकों के लिए निर्देश:

बैंक ने असाधारण आम बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने और ईजीएम के संचालन के लिए सहायक समर्थकों को नियुक्त करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केएफआईएन), रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों को नियुक्त किया है।

वीसी/ओएवीएम पर ईजीएम के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार:-

(ए) शेयरधारक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के लिए उन्हें प्रदान किए गए लॉग इन क्रेडेंशियल के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं। बैठक स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

(बी) शेयरधारक की ओर से उपस्थित होने और वोट डालने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति उपलब्ध नहीं है।

(सी) निगमित निकाय वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने, उसमें भाग लेने और ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डालने के हकदार हैं।

शेयरधारक नोटिस में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के समय से 15 मिनट पहले ईजीएम में शामिल हो सकते हैं। ईजीएम में एफआईएफओ आधार पर 1000 सदस्य तक शामिल हो सकेंगे।

बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर्स, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्षों, लेखा परीक्षकों आदि के संबंध में ईजीएम में एफआईएफओ आवेश के कारण कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM) THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide various circulars issued since May 2020 including the General Circular No. 02/2022 issued on 05th May 2022, Circular No. 09/2023 dated 25th September 2023 and 9/2024 dated 19th September 2024, permitted companies to hold their EGM through VC/OAVM till 30th September 2025. SEBI has also in line with the aforesaid circulars issued by MCA, granted relaxations to listed entities vide its Circular dated 03rd October 2024.

The deemed venue for this EGM shall be Head Office of Canara Bank at Bengaluru.

3. INSTRUCTIONS FOR THE SHAREHOLDERS FOR ATTENDING THE EGM THROUGH VIDEO CONFERENCING:

The Bank has appointed KFin Technologies Limited (KFin), Registrars and Transfer Agents, to provide Video Conferencing facility for the Extraordinary General Meeting and the attendant enablers for conducting of the EGM.

Pursuant to the provisions of the circulars of EGM on the VC / OAVM:-

(a) Shareholders can attend the meeting through log in credentials provided to them to connect to Video Conferencing. Physical attendance of the Shareholders at the Meeting venue is not required.

(b) Appointment of proxy to attend and cast vote on behalf of the Shareholder is not available

(c) Body Corporates are entitled to appoint authorized representatives to attend the EGM through VC/ OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.

The Shareholders can join the EGM 15 minutes before the time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. Upto 1000 members will be able to join on a FIFO basis to the EGM.

There will be no restrictions on account of FIFO entry into EGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.

केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के अंतर्गत कोरम की गणना के लिए ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों (सदस्यों के लॉगिन) की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

शेयरधारक रिमोट ईवोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके 'ईजीएम-वीडियो कॉन्फ्रेंस और स्ट्रीमिंग' के आइकन पर क्लिक करके <https://emeetings.kfintech.com/> पर इसे एक्सेस कर सकते हैं। लॉगिन करने पर, शेयरधारकों को संबंधित इवेंट विवरण और बैंक का नाम चुनना होगा। कृपया नोट करें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे नोटिस में उल्लेखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

- शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम/फायरफॉक्स के साथ लैपटॉप/स्मार्ट फोन के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से कनेक्ट होने वाले या लैपटॉप के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए उपरोक्त किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।
- जो सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वे अपने रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की ई-वोटिंग वेबसाइट <https://emeetings.kfintech.com/> पर लॉग इन करके ईजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट देख सकेंगे।
- ईजीएम आयोजन की सूचना बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर अपलोड कर दी गई है। यह सूचना स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com से भी प्राप्त की जा सकती है और यह ई-वोटिंग एजेंसी केफिन की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/> पर भी उपलब्ध है।

4. प्रॉक्सी और अधिकृत प्रतिनिधि(यों) की नियुक्ति:

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार, इस ई-ईजीएम में शेयरधारकों के लिए उपस्थित होने तथा मतदान करने हेतु प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी/इकाई के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले प्रस्ताव की एक प्रति, जिस बैठक में इसे पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित, ईमेल द्वारा v&raju-sv@kfintech-com / hosecretarial@canarabank-com पर बैठक की तारीख से चार दिन पहले नहीं भेजी गई हो, अर्थात् शुक्रवार, 22 नवंबर 2024 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले।

The attendance of the Shareholders (member's logins) attending the EGM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000.

Shareholders may access the same at <https://emeetings.kfintech.com/> by clicking the Icon of "EGM-Video Conference & Streaming" by using the remote evoting credentials. Upon login, shareholders need to select respective event details and name of the Bank. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.

- Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / Smart phones with Google Chrome / Firefox for better experience.
- Please note that participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/ Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- Members who are not able to join this Meeting over video conferencing will be able to view the live webcast of proceedings of EGM by logging on the e-voting website of KFin Technologies Limited at <https://emeetings.kfintech.com/> using their remote e-voting credentials.
- The Notice calling the EGM has been uploaded on the website of the Bank at www.canarabank.com. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and is also available on the website of e-voting agency KFin at the website address <https://evoting.kfintech.com/>

4. APPOINTMENT OF PROXIES AND AUTHORISED REPRESENTATIVE(S):

Pursuant to the aforesaid Circulars the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the shareholders is not available for this e-EGM.

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been sent either by email to v-raju.sv@kfintech.com / hosecretarial@canarabank.com / not later than four days before the date of meeting i.e. on or before 5.00 p.m. on Friday, 22nd November 2024.

5. निर्दिष्ट / कट-ऑफ तिथि:

नोटिस में उल्लेखित अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक के चुनाव के लिए नामांकन, चुनाव लड़ने और वोट देने के लिए पात्र शेयरधारकों की सूची निर्धारित करने के उद्देश्य से बुधवार, 23 अक्टूबर 2024 को निर्दिष्ट / कट-ऑफ तिथि के रूप में तय करने का निर्णय लिया गया है।

6. शेयर अंतरण एजेंटों के साथ संप्रेषण:

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में यदि कोई परिवर्तन हो, तो बैंक के शेयर अंतरण एजेंटों को निम्नलिखित पते पर सूचित करें:

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यूनिट: केनरा बैंक

सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32

गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा

हैदराबाद – 500 032

इसके अलावा, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी ईमेल आईडी शेयर ट्रांसफर एजेंटों (उपर्युक्त पते पर) या अपनी ईमेल आईडी einward.ris@kfintech.com पर सूचित / पंजीकृत करें।

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त परिवर्तनों / ई-मेल आईडी की सूचना केवल अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को ही दें।

7. भौतिक होल्डिंग्स का डीमैटेरियलाइजेशन – एक विशेष अनुरोध:

सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के माध्यम से निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के संचरण या स्थानांतरण के मामले को छोड़कर, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियों को दिनांक 01.04.2019 से डिपॉजिटरी के पास डीमैट रूप में नहीं रखा जाता है। इसलिए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया अपनी भौतिक होल्डिंग्स को तुरंत डीमैट करें।

डीमैटेरियलाइजेशन के लिए शेयरधारक अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क कर सकते हैं, जहां वे अपना डीमैट खाता रखते हैं। डिमैटेरियलाइजेशन के लाभ इस प्रकार हैं: (प) परेशानी मुक्त स्थानांतरण (पप) शेयर प्रमाणपत्र के खोने का कोई खतरा नहीं (पपप) लाभांश / कॉर्पोरेट लाभ का प्रत्यक्ष और त्वरित क्रेडिट (पअ) नामांकन सुविधा (अ) एएसबीए / आईपीओ आदि के माध्यम से सीधे आवेदन।

8. पिछले वर्षों का अदावाकृत / अवैतनिक लाभांश, यदि कोई हो:

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यान से नोट करें कि बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 में "बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्थान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006" के संशोधन के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने पर पिछले वर्षों के लाभांश खातों में बकाया / दावा न की गई राशि और उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद घोषित लाभांश को "अवैतनिक लाभांश खाते" में स्थानांतरित करना आवश्यक है।

5. SPECIFIED/CUT-OFF DATE:

It has been decided to fix Wednesday, 23rd October 2024 as Specified/Cut-Off Date for the purpose of determining the list of Shareholders entitled to participate in the Election i.e., to Nominate, Contest and Vote for the Election of ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government, as mentioned in the Notice.

6. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

KFin Technologies Ltd Unit : Canara Bank

Selenium Tower B, Plot No. 31-32

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda

HYDERABAD - 500 032

Further, the shareholders are advised to inform/register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to their email id einward.ris@kfintech.com

Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

7. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:

SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to kindly Demat their physical holding immediately.

For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective demat account. Benefits of dematerialization are as follows: i) Hassle free transfer ii) No threat of loss of share certificate iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits iv) Nomination facility v) Direct application through ASBA / IPO, etc.

8. UNCLAIMED / UNPAID DIVIDEND, IF ANY OF PREVIOUS YEARS:

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

उक्त 'अवैतनिक लाभांश खातों' में हस्तांतरित की गई राशि और अंतरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि के लिए दावा न की गई / अवैतनिक शेष राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना आवश्यक है और उसके बाद बैंक या कोष के संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 तक घोषित अवैतनिक लाभांश को पहले ही आईईपीएफ में अंतरित कर दिया है।

अवैतनिक लाभांश वारंट का विवरण बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर उपलब्ध करा दिया गया है। जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों, अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 से अपने लाभांश वारंट को भुनाया नहीं है, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या बैंक के बेंगलूरु स्थित सचिवालय विभाग से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500 032 ईमेल आईडी: einward-ris@kfintech-com टोल फ्री नंबर – 1- 800-309-4001	सचिवीय विभाग केनरा बैंक प्रधान कार्यालय 112 जे सी रोड बेंगलूरु – 560002 ईमेल – hosecretarial@ canarabank-com
--	---

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed / unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2016-17 to IEPF.

The details of Unpaid Dividend Warrants have been made available on Bank's website www.canarabank.com. The Shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years, i.e. from FY 2021-22 onwards are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent or at Bank's Secretarial Department at Bengaluru on the following address :

KFin Technologies Ltd. Selenium Tower B, Plot No 31 District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032 Email id: einward.ris@kfintech.com Toll free number -1- 800-309-4001	Secretarial Department Canara Bank Head Office 112 J C Road Bengaluru - 560002 E-mail - hosecretarial@ canarabank.com
---	--

9. पता परिवर्तन / लाभांश अधिदेश:

- क) नोटिस/संसूचना भेजने के लिए बैंक एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत पते के विवरण का उपयोग करेगा और संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को सूचित किया जाता है कि डीमैट खाते में पंजीकृत उनका पता संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि तुरंत अद्यतन किया जा सके। बैंक या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट पते में किसी भी परिवर्तन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तनों की सूचना केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी प्रतिभागी को ही दी जानी चाहिए।
- ख) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते में किसी भी बदलाव के बारे में वैध दस्तावेजी साक्ष्य और विधिवत हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन के साथ तुरंत बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, यानी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, हैदराबाद को सूचित करें। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को पते में बदलाव को केवल अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत कराना होगा, न कि बैंक या बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास।

9. CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE:

- a) The Bank for sending Notices / communications will use the details of address registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Members holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.
- b) Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. Kfin Technologies Limited, Hyderabad. Members holding shares in electronic form must register change in address with their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

ग) सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक या बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ किसी भी पत्राचार में अनिवार्य रूप से अपने संबंधित फोलियो नंबर (भौतिक रूप में शेयर रखने वालों के लिए) और अपने संबंधित डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी नंबर (इलेक्ट्रॉनिक/डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वालों के लिए) का उल्लेख करें।

10. वोटिंग अधिकार :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप-धारा (2 ई) के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा, संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा रखे गए किसी भी शेयर के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो रजिस्टर में पहले नामित व्यक्ति को मतदान के संबंध में, उसका एकमात्र धारक माना जाएगा। इस प्रकार, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं, तो पहले नामित व्यक्ति को केवल ईजीएम में भाग लेने और कार्यसूची पर वोट देने का अधिकार है, या तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या ईजीएम में मतदान करके, यदि रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है।

11. ईजीएम में मतदान की प्रक्रिया

रिमोट ई-वोटिंग

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, आपका बैंक शेयरधारकों को बैठक की सूचना में उल्लेखित मद पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगा। इस संबंध में शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

- क) बैंक ने ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।
- ख) पोर्टल रिमोट ई-वोटिंग के लिए शनिवार, 23 नवंबर 2024 को सुबह 9 बजे खुलेगा और मंगलवार, 26 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे तक (दोनों दिन सम्मिलित) पूरे दिन खुला रहेगा।
- ग) रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है। कट-ऑफ तिथि बुधवार, 23 अक्टूबर 2024 को बैंक के शेयरधारक जो भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखते हैं, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं।

c) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent

10. VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the EGM and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the EGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

11. VOTING PROCESS AT THE EGM

Remote E-Voting

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

- a) The Bank has appointed **KFin Technologies Limited as the remote e-voting agency** to provide the e-voting platform.
- b) **The Portal will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on Saturday, 23rd November 2024 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on Tuesday 26th November 2024 (both days inclusive).**
- c) **Remote e-voting is optional.** Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut - off Date i.e., Wednesday, 23rd October 2024**, may cast their vote electronically.

ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि:

- केवल डीमैट में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए लागू

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा हेतु 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करा लें।

व्यक्तिगत सदस्य (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारण करने वाले) डिपॉजिटरी के माध्यम से लॉगिन करते हैं डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

Login method for e-voting :

- Applicable only for Individual members holding securities in Demat

As per the SEBI circular dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, Individual members holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Members are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Individual Members (holding securities in demat mode) login through Depository

Login method for Individual members holding securities in demat mode is given below:

NSDL	CDSL
<p>1. उपयोगकर्ता पहले से ही आइडियाज सुविधा के लिए पंजीकृत है:</p> <p>I. यूआरएल : https://eservices-nsdl-com</p> <p>II. 'IDEAS' अनुभाग के अंतर्गत 'लामार्थी स्वामी' आइकन पर क्लिक करें.</p> <p>III. नए पेज पर, यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, 'ई-वोटिंग तक पहुंच' पर क्लिक करें।</p> <p>IV. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p>	<p>1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने ईजी/ईजीएस्ट का विकल्प चुना है</p> <p>I. यूआरएल : https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login अथवा यूआरएल : www.cdslindia.com</p> <p>II. न्यू सिस्टम माई इजी पर क्लिक करें</p> <p>III. यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।</p> <p>IV. बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।</p> <p>V. अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें।</p>
<p>2. उपयोगकर्ता IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है</p> <p>I. पंजीकरण के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices&nsdl&com</p> <p>II. "IDEAS के लि, ऑनलाइन पंजीकरण करें" का चयन करें</p> <p>III. आवश्यक फील्ड को पूरा करके आगे बढ़ें— उपयोगकर्ता IDeAS ई-सेवाओं के लि, पंजीकृत नहीं है:—</p> <p>I. पंजीकरण के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p> <p>II. आवश्यक फील्ड को पूरा करके आगे बढ़ें।</p>	<p>2. उपयोगकर्ता इजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है</p> <p>I. पंजीकरण का विकल्प यहां उपलब्ध है https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</p> <p>II. आवश्यक फील्ड को पूरा करते हुए आगे बढ़ें।</p>
<p>3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर करें</p> <p>I- यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/</p> <p>II- 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध 'लॉगिन' आइकन पर क्लिक करें.</p> <p>III- स्क्रीन पर दिखाए अनुसार यूजर आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के साथ 16 अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और सत्यापन कोड दर्ज करें।</p> <p>IV- सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं।</p> <p>V- कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p>	<p>3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर</p> <p>I. यूआरएल : www.cdslindia.com</p> <p>II. डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करें।</p> <p>III. सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा।</p> <p>IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है।</p>

NSDL	CDSL
<p>1. User already registered for IDeAS facility:</p> <p>I. URL: https://eservices.nsd.com</p> <p>II. Click on the "Beneficial Owner" icon under 'IDeAS' section.</p> <p>III. On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on "Access to e-Voting"</p> <p>IV. Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.</p>	<p>1. Existing user who have opted for Easi / Easiest</p> <p>I. URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or URL: www.cdslindia.com</p> <p>II. Click on New System Myeasi</p> <p>III. Login with user id and password.</p> <p>IV. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication.</p> <p>V. Click on e-Voting service provider name to cast your vote.</p>
<p>2. User not registered for IDeAS e-Services</p> <p>I. To register click on link : https://eservices.nsd.com</p> <p>II. Select "Register Online for IDeAS"</p> <p>III. Proceed with completing the required fields. User not registered for IDeAS e-Services</p> <p>I. To register click on link : https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p> <p>II. Proceed with completing the required fields.</p>	<p>2. User not registered for Easi/Easiest</p> <p>I. Option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</p> <p>II. Proceed with completing the required fields.</p>
<p>3. By visiting the e-Voting website of NSDL</p> <p>I. URL: https://www.evoting.nsd.com/</p> <p>II. Click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.</p> <p>III. Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.</p> <p>IV. Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page.</p> <p>V. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.</p>	<p>3. By visiting the e-Voting website of CDSL</p> <p>I. URL: www.cdslindia.com</p> <p>II. Provide demat Account Number and PAN No.</p> <p>III. System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account.</p> <p>IV. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the e-Voting is in progress.</p>

व्यक्तिगत सदस्य (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारण करने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें और सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको NSDL/CDSL डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट:

जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर फॉरगेट आईडी पर जाएं और फॉरगेट पासवर्ड के विकल्प का उपयोग करें।

सदस्यों को किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है - एनएसडीएल	सदस्यों को किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है - सी.डी.एस.एल
लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022-23058738 या 22-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।

- गैर-व्यक्तिगत सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए लागू

गैर-व्यक्तिगत सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

दूरस्थ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और निर्देश निम्नानुसार हैं:

- आरंभिक पासवर्ड ईमेल के मुख्य भाग में दिया गया है।
- इंटरनेट ब्राउजर लॉन्च करें और एड्रेस बार में URL: <https://evoting.kfintech.com> टाइप करें।
- अपने ईमेल में उल्लेखित लॉगिन क्रेडेंशियल यानी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। आपका फोलियो नंबर/डीपी आईडी क्लाइंट आईडी ही आपकी यूजर आईडी होगी। हालांकि, यदि आप ई-वोटिंग के लिए KFin के साथ पहले से ही पंजीकृत हैं, तो वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।
- विवरण उचित रूप से दर्ज करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।
- आप पासवर्ड चेंज मेनू पर जाएंगे, जहां आपको अनिवार्य रूप से अपना पासवर्ड बदलना होगा। नया पासवर्ड कम से कम 8 अक्षरों का होना चाहिए जिसमें कम से कम एक अपर केस (A&Z), एक लोअर केस (a&z), एक संख्यात्मक मान (0-9) और एक विशेष वर्ण (@,#,\$,आदि) शामिल होना चाहिए। आपसे यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।
- आपको नए क्रेडेंशियल के साथ पुनः लॉगिन करना होगा।
- सफल लॉगिन पर, सिस्टम आपको ईवेंट यानी केनरा बैंक का चयन करने के लिए कहेगा

Individual Members (holding securities in demat mode) login through their depository participants

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option and you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.

Important note:

Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Members facing any technical issue - NSDL	Members facing any technical issue - CDSL
Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 22-23058542-43.

- **Applicable for non-Individual members and members holding shares in physical form**

Login method for non-individual members and members holding shares in physical form are given below:

Procedure and Instructions for remote e-voting are as under:

- Initial password is provided in the body of the email.
- Launch internet browser and type the URL: <https://evoting.kfintech.com> in the address bar.
- Enter the login credentials i.e. User ID and password mentioned in your email. Your Folio No./DP ID Client ID will be your User ID. However, if you are already registered with KFin for e-voting, use your existing User ID and password for casting your votes.
- After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- You will reach the password change menu wherein you will be required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@,#,\$,etc.). It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- You need to login again with the new credentials.
- On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e. Canara Bank

- ज. वोटिंग पेज पर, कट-ऑफ तिथि पर आपके पास मौजूद शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या को दर्शाती है) दिखाई देगी। यदि आप प्रस्ताव पर सहमति/असहमति के लिए सभी वोट डालना चाहते हैं, तो सभी शेयर दर्ज करें और 'के लिए' / 'विरुद्ध' पर क्लिक करें या आंशिक रूप से 'के लिए' और आंशिक रूप से 'विरुद्ध' पर क्लिक करें, लेकिन 'के लिए' और / या 'विरुद्ध' में कुल संख्या कट-ऑफ तिथि पर आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप 'मतदान से परहेज' का विकल्प भी चुन सकते हैं और आपके पास मौजूद शेयरों को किसी भी शीर्षक के तहत नहीं गिना जाएगा। एक से अधिक फोलियो/डीमैट खाते रखने वाले सदस्यों को प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करना होगा।
- झ. उचित विकल्प चुनकर अपना वोट डालें और 'सबमिट' पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स दिखाई देगा। पुष्टि करने के लिए 'ओके' पर क्लिक करें, अन्यथा संशोधित करने के लिए 'रद्द करें' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद, आपको बाद में अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान अवधि के दौरान, आप कई बार लॉगिन कर सकते हैं जब तक कि आप पुष्टि नहीं कर लेते कि आपने प्रस्ताव पर वोट दिया है।
- ञ. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि की स्कैन की गई छवि (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) के साथ-साथ वोट देने के लिए अधिकृत विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर को scrutinizer@snaco.net पर ईमेल के माध्यम से स्कूटिनाइजर को भेजना आवश्यक है और वे इसे अपने लॉगिन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी अपलोड कर सकते हैं।
- ट. किसी भी प्रश्नधशिकायत के मामले में, आप <https://evoting.kfintech.com> के 'डाउनलोड' अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैन्युअल देख सकते हैं या केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के उप-उपाध्यक्ष श्री एस. वी. राजू (यूनिटरू केनरा बैंक), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032, ई-मेल v&raju.sv@kfintech.com या फोन नंबर 1-800-309-4001 (टोल फ्री) से संपर्क कर सकते हैं।
12. **ई बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली:**
केवल वे शेयरधारक जो ई-ईजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, उन्हें ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट करने की अनुमति दी जाएगी। शेयरधारक बैठक के दौरान वीसी/एवीएम में लॉग इन करने के बाद उपलब्ध लिंक <https://emeetings.kfintech.com/> पर क्लिक करके उसमें उल्लेखित निर्देशों का पालन करके वोट कर सकते हैं।
13. **बैठक में मतदान/रिमोट ई-वोटिंग के लिए जांचकर्ता**
चुनाव की पूरी प्रक्रिया बैंक द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संचालित की जाएगी।
मैसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यम एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, बैंक द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए नियुक्त स्वतंत्र सलाहकार, बैठक के कार्यसूची मदों के संबंध में रिमोट इवोटिंग और ई-वोटिंग दोनों के लिए जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे।
- h. On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.
- i. Members holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat account.
- j. Cast your votes by selecting an appropriate option and click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm, else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote subsequently. During the voting period, you can login multiple times till you have confirmed that you have voted on the resolution.
- k. Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (pdf/jpg format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory(ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at scrutinizer@snaco.net and may also upload the same in the e-voting module in their login.
- l. In case of any queries/grievances, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting User Manual available at the 'download' section of <https://evoting.kfintech.com> or contact Mr. S.V. Raju, Deputy Vice President of KFin Technologies Ltd, (Unit : Canara Bank), Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500 032 at e-mail v&raju.sv@kfintech.com at phone no. 1-800-309-4001 (toll free).

12. E - VOTING SYSTEM DURING THE MEETING:

Only those shareholders who are present at the e-EGM and have not cast their vote through remote e-voting shall be allowed to vote through e-voting system. The shareholders may vote during the course of the meeting by clicking the link <https://emeetings.kfintech.com/> available after logging in to VC/OAVM by following the instructions mentioned therein

13. SCRUTINIZERS AT REMOTE E-VOTING / VOTING AT THE MEETING

The entire process of Election would be conducted by the Chief Returning Officer appointed by the Bank. M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Practicing Company Secretaries Independent Consultant appointed for the said purpose by the Bank shall act as Scrutinizer for both remote evoting and e-voting in respect of the agenda items of the meeting.

14. बैठक में रिमोट इवोटिंग और वोटिंग के परिणाम

रिमोट ई-वोटिंग और ईजीएम में मतदान के समेकित परिणाम बैठक के अंत में या निर्धारित समय सीमा के भीतर घोषित किए जाएंगे और बैंक, स्टॉक एक्सचेंजों और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइटों पर भी होस्ट किए जाएंगे।

15. हरित पहल – विशेष ध्यान अपेक्षित:

भारत सरकार की हरित पहलों का समर्थन करने के लिए, जिन शेयरधारकों ने अपने संबंधित डिपॉजिटरीज/ आरटीए/बैंक के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरीज के साथ ईमेल आईडी पंजीकृत करें या मेल द्वारा संसूचना प्राप्त करने के लिए इस नोटिस में उल्लेखित पते/ईमेल आईडी पर आरटीए/बैंक को ईमेल/लिखित अनुरोध भेजें।

16. व्याख्यात्मक वक्तव्य

बैठक के कार्य के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण (विवरण) इसके साथ संलग्न है और यह नोटिस का हिस्सा है।

बैंक के एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार, वर्तमान में हमारे बैंक के निदेशक मंडल में केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निम्नलिखित तीन निदेशक हैं।

01. श्री. करुणाकर शेटी (यथा 30.11.2021 से 29.11.2024 तक)
02. श्री बिमल प्रसाद शर्मा (यथा 27.07.2022 से 26.07.2025 तक) पुनः निर्वाचित
03. सुश्री आभा सिंह यदुवंशी (यथा 27.07.2022 से 26.07.2025 तक)

एक निर्वाचित शेयरधारक निदेशक, अर्थात् श्री करुणाकर शेटी का कार्यकाल 29.11.2024 को समाप्त हो रहा है। तदनुसार, उक्त रिक्ति को भरने के लिए, निदेशक मंडल ने केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से एक निदेशक का चुनाव कराने का निर्णय लिया है।

इसलिए शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अलावा) विभिन्न एवं प्रासंगिक अधिनियम, योजना, विनियमन, अधिसूचना और दिशानिर्देशों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन भेजने के पात्र हैं।

शेयरधारक निदेशक का चुनाव शेयरधारकों द्वारा बैंक को प्रस्तुत किए गए नामांकनों की जांच के बाद तथा बोर्ड/निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा उनकी 'उपयुक्त एवं योग्य' स्थिति के निर्धारण के बाद तथा उसके बाद ईजीएम में चुनाव के बाद किया जाएगा। इस प्रकार चुने गए शेयरधारक निदेशक 30 नवंबर 2024 से पदभार ग्रहण करेंगे तथा तीन वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।

14. RESULTS OF REMOTE EVOTING AND VOTING AT THE MEETING

The consolidated results of remote e-voting and voting at the EGM will be announced at the end of the Meeting or within the prescribed time limits and will also be hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and Kfin Technologies Ltd.

15. GREEN INITIATIVE - SPECIAL ATTENTION REQUESTED:

In order to support the green initiatives by Government of India, Shareholders who have not registered their email IDs with their respective Depositories/RTA/Bank, are requested to do so with their respective Depositories or by sending emails/request in writing to the RTA/Bank at the address/email ID stated in this Notice in order to receive communications over mail.

16. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement (s) setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and forms part of the Notice

Election of One Shareholder Director of the Bank

Pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at present, the Board of Directors of our Bank has the following three Directors representing shareholders other than the Central Government.

01. Shri. Karunakara Shetty (wef 30.11.2021 to 29.11.2024)
02. Shri Bimal Prasad Sharma (Re-elected wef 27.07.2022 to 26.07.2025)
03. Ms. Abha Singh Yaduvanshi (wef 27.07.2022 to 26.07.2025)

The term of one elected shareholder director, i.e. Shri. Karunakara Shetty ends on 29.11.2024. Accordingly, to fill in the said vacancy, the Board of Directors have decided to conduct election of one director from amongst shareholders other than the Central Government.

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act, Scheme, Regulations, Notification and Guidelines.

The Shareholder Director will be elected after the scrutiny of the nominations which the Shareholders submit to the Bank and determination of his/her 'Fit & Proper' Status by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / Board of Directors and subsequent election at the EGM. The Shareholder Director so elected shall assume office from 30TH November 2024 and shall hold office for a period of three years.

निदेशक के चुनाव के लिए अन्य प्रावधान:

क. विधिक प्रावधान

निम्नलिखित तालिका इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों/विनियमों/योजनाओं/अधिसूचनाओं में निहित प्रावधानों को दर्शाती हैं:

अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचनाएं	महत्वपूर्ण प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन-ई) धारा 16 (1) धारा 20	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पर्याप्त हिताधिकार ➤ सामान्य निदेशकों का निषेध ➤ अपने किसी भी निदेशक को या उसकी ओर से ऋण या अग्रिम देने पर प्रतिबंध
बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(प) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9(3एए) और धारा 9(3एबी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ मताधिकार पर प्रतिबंध ➤ शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या ➤ कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान ➤ कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह ट्रैक रिकॉर्ड, ईमानदारी और आरबीआई द्वारा निर्धारित अन्य मानदंडों के आधार पर उपयुक्त और उचित स्थिति वाला व्यक्ति न हो। ➤ आरबीआई को ऐसे निर्वाचित निदेशक को हटाने का अधिकार है जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। ➤ निष्ठा और गोपनीयता के प्रति दायित्व
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970	धारा 9(4) धारा 10 धारा 11 धारा 11ए धारा 11बी धारा 12(8) खंड 14ए, विशेष प्रावधान	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्वाचित निदेशकों के कार्यालय का कार्यकाल ➤ बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने से अयोग्यताएं ➤ निदेशक का पद रिक्त होना ➤ निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना ➤ निर्वाचित निदेशक के पद में आकस्मिक रिक्ति को भरना ➤ निदेशकों द्वारा उन व्यवस्थाओं में रुचि का प्रकटीकरण जिनमें वे रुचि रखते हैं। ➤ यदि बोर्ड संतुष्ट है कि समिति की बैठक के लिए कोरम ऐसी समिति में किसी रिक्ति के अस्तित्व या उसके सदस्य द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है, तो बोर्ड ऐसा कार्य या कार्य कर सकता है।
केनरा बैंक (शेयर और बैठकों) विनियम, 2000	विनियमन 10 विनियमन 61 विनियमन 63 विनियमन 64 विनियमन 65 विनियमन 66 विनियमन 67 विनियमन 68 विनियमन 69 विनियमन 70	<ul style="list-style-type: none"> ➤ संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग ➤ आम बैठकों में मतदान ➤ आम बैठकों में निदेशकों का चुनाव किया जाएगा ➤ शेयरधारकों की सूची ➤ चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन ➤ नामांकन की जांच ➤ चुनाव विवाद ➤ मतदान अधिकारों का निर्धारण ➤ विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान ➤ प्रॉक्सी

OTHER PROVISIONS FOR ELECTION OF DIRECTOR:

A. LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e) Section 16 (1) Section 20	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Substantial Interest ➤ Prohibition of Common Directors ➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(l) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) & Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Restriction on voting rights ➤ No. of directors to be elected by the shareholders ➤ Special knowledge in certain fields ➤ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➤ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➤ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8) Clause 14A, Special provision	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Term of office of elected directors ➤ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ➤ Vacation of office of Director ➤ Removal from office of an elected Director ➤ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ➤ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested. ➤ if the Board is satisfied that quorum for meeting of Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing.
Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Exercise of rights of joint holders ➤ Voting at General Meetings ➤ Directors to be elected at General Meetings ➤ List of Shareholders ➤ Nomination of candidates for election ➤ Scrutiny of nominations ➤ Election disputes ➤ Determination of voting rights ➤ Voting by duly authorized representative ➤ Proxies

अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचनाएँ	महत्वपूर्ण प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
आरबीआई मास्टर निर्देश	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3AA) और धारा 9(3AB) के अनुसार	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए उपयुक्त एवं उचित मानदंड
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 25 मार्च 2015 को भारत सरकार के पत्र एफ.सं. 16/51/2012-बीओ.आई. दिनांक 28 अप्रैल 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016 को भारत सरकार के पत्र एफ.सं.16/51/2012 बीओ.आई. दिनांक 3 सितंबर 2013 के कार्यालय ज्ञापन और उसके बाद के संशोधनों, यदि कोई हो, के साथ पढ़े जाएं।		बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अनुसार शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने वाले उम्मीदवारों की उपयुक्त एवं उचित स्थिति का निर्धारण करते समय बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा इन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
भा.रि.बैं मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई 2015		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम राशि
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015		स्वतंत्र निदेशक से संबंधित प्रावधान

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना/विनियमन के साथ-साथ आरबीआई अधिसूचना संख्या डीबीआर.ए.सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 और भारत सरकार के दिशानिर्देशों को बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिन्हें उपयोगकर्ता द्वारा देखा/डिआउनलोड किया जा सकता है। इस प्रकार के उद्धरण हेतु इच्छुक उम्मीदवारों स्वरा अपना नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् 12 नवंबर 2024 तक या उससे पहले कंपनी सचिव, केनरा बैंक के बेंगलूरु स्थित प्रधान कार्यालय को अनुरोध संबंधित ई-मेल भेजे जाएंगे।

ख. चुनाव में भागीदारी:

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, ऐसे शेयरधारक जिनके नाम निर्दिष्ट/कट-ऑफ तारीख यानी बुधवार, 23 अक्टूबर 2024 को एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों/लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में प्रदर्शित होता है, वे केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में भाग लेने यानी नामांकन, चुनाव लड़ने और वोट देने के लिए पात्र होंगे।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि केन्द्र सरकार निदेशक के चुनाव में भाग लेने की हकदार नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षक के रूप में ईजीएम में भाग ले सकती है।

ग. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक योग्यताएँ

1. अधिनियम की धारा 9(3ए) के संदर्भ में, एक उम्मीदवार, जो बैंक का शेयरधारक है और जो अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने की अपेक्षा रखता है।

क) निम्नलिखित में से एक या अधिक विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, अर्थात्

- कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सह-परिचालन
- अर्थव्यवस्था
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग

viii. कोई अन्य मामला जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा।

(आरबीआई ने 24 नवंबर 2016 को जारी अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.ए.पार्टमेंट.बीसी. संख्या 39/29.39.001/2016-17 के माध्यम से विशेषज्ञता के क्षेत्रों को बढ़ाकर इसमें (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन को शामिल किया है, जो उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें बैंकों में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।)

बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता है; या
सी) किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
RBI Master Directions	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of public sector banks
Guidelines issued by the Government of India approved by Appointment Committee of the Cabinet for appointment of part time non official director dated 25th March 2015 read with GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013 and subsequent amendments thereto, if any.		These guidelines be kept in mind by the Nomination and Remuneration Committee of the Board while carrying out determination of Fit and Proper Status of the Candidates to be elected as Shareholder Director pursuant to Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970..
RBI Master Circular dated 1st July 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme/ Regulation as well as RBI Notifications No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and GOI Guidelines will be hosted in the Bank's website www.canarabank.com which can be viewed/downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Canara Bank at their Head Office at Bengaluru" on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. 12th November 2024.

B. PARTICIPATION IN ELECTION:

As already indicated earlier, such of those Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the Specified/Cut- Off Date i. e., on Wednesday, 23rd October 2024 shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the election of Director, but may attend the EGM as an Observer.

C. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

1. In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

- a) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely: -
 - i. agriculture and rural economy
 - ii. banking
 - iii. co-operation
 - iv. economics
 - v. finance
 - vi. law
 - vii. small scale industry
 - viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank (RBI vide its circular no.DBR.Appt.BC.No.39/ 29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)
- b) represents the interest of depositors; or
- c) represents the interest of farmers, workers and artisans

2. अधिनियम की धारा 9(3एए) और आरबीआई अधिसूचना के अनुसार, बैंक का शेयरधारक होने के नाते, जो उम्मीदवार बैंक का निदेशक बनना चाहता है, उसके पास 'उपयुक्त और उचित' स्थिति होनी चाहिए।

अधिनियम की धारा 9(3एबी) के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक उप-धारा 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्राधिकरण, ऐसे निर्धारण का तरीका, ऐसे निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे अन्य मामले भी निर्दिष्ट कर सकता है, जिन्हें आवश्यक या प्रासंगिक माना जाए।

इसके अलावा, निर्वाचित निदेशक को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना चाहिए तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करनी होंगी।

घ. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने से अयोग्यता

(ए) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार, एक व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और होने के लिए अयोग्य होगा:

क) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या भुगतान निलंबित कर दिया गया हो या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया हो; या

ख) यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त पाया गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित कर दिया गया है; या

ग) यदि उसे दंड न्यायालय अदालत द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल है; या

घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है, सिवाय पूर्णकालिक निदेशक के पद को धारण करने के, जिसके अंतर्गत बैंक के कर्मचारियों में से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के अंतर्गत नामित प्रबंध निदेशक और निदेशक भी शामिल हैं।

(बी) यदि वह भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना डीबीआर. अपॉइंटमेंट.संख्या:9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 और भारत सरकार के दिशानिर्देश संख्या एफ. संख्या 16/51/2012-बीओआई दिनांक 28 अप्रैल 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016 को दिनांक 3 सितंबर 2013 के ओएम के साथ पढ़े जाने के अनुसार 'उपयुक्त और उचित' व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

(सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 16(1) – सामान्य निदेशकों पर प्रतिबंध

भारत में निगमित किसी भी बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल में ऐसा कोई व्यक्ति निदेशक नहीं होगा जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो।

2. In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification a candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess 'Fit and Proper' status.

In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

D. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

(A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

(B) If he/she is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of notifications of Reserve Bank of India DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and Government of India guidelines no. F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013.

(C) Section 16(1) of Banking Regulation Act, 1949 - Prohibition of Common Directors

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

(डी) धारा 9 (3एए): उप-धारा 3(ए) के प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अधिनियम या वर्तमान में लागू अन्य कानून में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति उप-धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा और ऐसे अन्य मानदंडों के आधार पर 'उपयुक्त और उचित स्थिति' वाला व्यक्ति न हो, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित कर सकता है।

(ई) कार्यकाल

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 9(4) के अनुसार, निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष तक पद पर रहेगा तथा पुनः निर्वाचित होने का पात्र होगा।

बशर्त कि ऐसा कोई निदेशक छह वर्ष से अधिक अवधि तक लगातार पद पर नहीं रहेगा।

(एफ) आरबीआई के मास्टर दिशानिर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3एए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3) (i) के प्रावधानों के तहत बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों द्वारा पूरा किए जाने वाले विशिष्ट 'उपयुक्त और उचित' मानदंडों को निर्धारित करते हुए दिनांक 02 अगस्त 2019 को अधिसूचना डीबीआर अपॉइंटमेंट संख्या: 9/29 67 001/2019-20 जारी की गई है।

अधिसूचना की मुख्य विशेषताएं

'उपयुक्त और उचित' स्थिति आदि का निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण, तरीके/प्रक्रिया और मानदंड इस प्रकार हैं'

ए) प्राधिकारी:

बैंक को एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति [जिसे आगे समिति कहा जाएगा] का गठन करना होगा, जिसमें निदेशक मंडल [जिसे आगे बोर्ड कहा जाएगा] में से कम से कम तीन गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति से कम से कम एक सदस्य शामिल होना चाहिए, ताकि एसबीआई अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (सी) / बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशकों के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति निर्धारित करने के लिए उचित परिश्रम की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

(D) **Section 9(3AA):** Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard

E. TENURE

In terms of Clause 9 (4) of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years

F. RBI'S MASTER DIRECTION

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02nd August 2019 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

Salient Features of the Notification

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper" status etc., are as under:

a) Authority:

The Bank is required to constitute a Nomination and Remuneration Committee [hereinafter referred to as the Committee] consisting of a minimum of three non-executive directors from amongst the Board of Directors [hereinafter referred to as Board], out of which not less than one-half shall be independent directors and should include at least one member from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under sub-section (c) of Section 19 of the SBI Act/Clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980.

बी) प्रणाली एवं प्रक्रिया:

बैंक चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी तथा घोषणा और वचन प्राप्त करेंगे। समिति नामांकन स्वीकार करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैठक करेगी और नीचे उल्लिखित मानदंडों के आधार पर यह निर्धारित करेगी कि व्यक्ति की उम्मीदवारी स्वीकार की जानी चाहिए या नहीं। समिति की चर्चाओं को बैठक के औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में उचित रूप से दर्ज किया जाएगा और यदि मतदान हुआ तो उसे भी नोट किया जाएगा। हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई जानकारी के आधार पर, समिति उम्मीदवारी की स्वीकृति या अन्यथा पर निर्णय लेगी और जहां आवश्यक समझा जाएगा, उचित प्राधिकारी/व्यक्तियों को संदर्भ देगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार बताई गई आवश्यकताओं के अनुरूप है।

सी) मानदंड

नामांकन और पारिश्रमिक समिति को प्रस्तावित उम्मीदवारों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का निर्धारण नीचे उल्लेखित व्यापक मानदंडों के आधार पर करना चाहिए:

- (i) आयु— चुनाव के लिए नामांकन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित कट-ऑफ तिथि को उम्मीदवार की आयु 35 से 67 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- (ii) शैक्षणिक योग्यताएं – उम्मीदवार को कम से कम स्नातक होना चाहिए।
- (iii) अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र दृ अभ्यर्थी के पास एसबीआई अधिनियम की धारा 19ए(ए)/बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3ए)(ए) में उल्लेखित एक या अधिक मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, जैसा भी मामला हो, जिसे आरबीआई परिपत्र डीबीआर अप्पार्टमेंट बीसी संख्या 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के साथ पढ़ा जाए।
- (iv) अयोग्यताएं: एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 22/राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/80 के खंड 10 में निर्धारित 'निदेशकों की अपात्रता' के अतिरिक्त:
- (अ) उम्मीदवार को किसी भी बैंक या रिजर्व बैंक या वित्तीय संस्थान (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक को रखने वाले एनओएफएचसी के बोर्ड का सदस्य नहीं होना चाहिए।

स्पष्टीकरण : इस उप-पैरा और उप-पैरा (c) के प्रयोजन के लिए, 'बैंक' में बैंकिंग कंपनी, एक तत्स्थानी नया बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक सहकारी बैंक और एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल होंगे।

b) Manner and procedure:

The banks shall obtain necessary information, and a declaration & undertaking, in the prescribed format, from the persons who file their nominations for election. The Committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned below. The Committee's discussions shall be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting, if done, shall also be noted. Based on the information provided in the signed declaration, the Committee shall decide on the acceptance or otherwise of the candidature and shall make references, where considered necessary, to the appropriate authority / persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

C) Criteria

The Nomination and Remuneration committee should determine the 'fit and proper' status of the proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- (i) Age - The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.
- (ii) Educational qualification – The candidate should at least be a graduate.
- (iii) Experience and field of expertise – The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters enumerated in section 19A(a) of the SBI Act / section 9(3A)(A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR.Appt.BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016.
- (iv) Disqualifications: In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed in Section 22 of the SBI Act, 1955 / Clause 10 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80:
- (a) The candidate should not be a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.

Explanation: For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "bank" shall include a banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a co-operative bank and a regional rural bank.

- (ब) किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति को पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यदि उन्हें उनमें कोई प्रबंधकीय नियंत्रण प्राप्त नहीं है।
- (स) किसी भी व्यक्ति को किसी बैंक के बोर्ड में निर्वाचित/पुनः निर्वाचित नहीं किया जा सकता है यदि उसने किसी भी श्रेणी के तहत किसी भी बैंक/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में लगातार या रुक-रुक कर छह साल तक निदेशक के रूप में कार्य किया हो।
- (द) उम्मीदवार को स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में संलग्न नहीं होना चाहिए।
- (य) उम्मीदवार संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद आदि) के सदस्य के पद पर नहीं होना चाहिए।
- (र) उम्मीदवार को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के साझेदार के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत हो।
- (ल) उम्मीदवार को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, जो वर्तमान में उस बैंक के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत हो, जिसके लिए चुनाव हेतु नामांकन दाखिल किया गया है।
- (अ) **कार्यकाल** – निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष तक पद पर रहेगा और पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा: बशर्ते कि ऐसा कोई निदेशक छह वर्ष से अधिक अवधि तक पद पर नहीं रहेगा, चाहे वह लगातार या बीच-बीच में पद पर रहा हो।
- (vi) **व्यवसायिक प्रतिबंध:**
- ए) अभ्यर्थी का संबंधित बैंक के साथ कोई व्यवसायिक संबंध (कानूनी सेवाएं, सलाहकार सेवाएं आदि सहित) नहीं होना चाहिए और न ही वह ऐसी गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए, जिससे उस बैंक के साथ कारोबार हितों का टकराव हो।
- बी) अभ्यर्थी का किसी बैंक या किसी अन्य बैंक से ऋण लेने वाली किसी गैर-संचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं होना चाहिए।
- बशर्ते कि चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय बैंक के साथ ऐसा कोई संबंध रखने वाले अभ्यर्थी को मद (ख) के अंतर्गत अपेक्षा पूरी करते हुए समझा जाएगा, उम्मीदवार समिति के समक्ष एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि यदि वह निदेशक के रूप में निर्वाचित होता है तो बैंक के साथ ऐसा संबंध समाप्त हो जाएगा, तथा निर्वाचित होने पर वह बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले ऐसा संबंध समाप्त कर देगा।
- (b) A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a PSB. However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them.
- (c) No person may be elected/ re-elected on the Board of a bank if he/she has served as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
- (d) The candidate should not be engaging in the business of stock broking.
- (e) The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.).
- (f) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.
- (g) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the bank in which nomination for election is filed.
- (V) **Tenure** – An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election: Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years, whether served continuously or intermittently.
- (vi) **Professional Restrictions -**
- (a) The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that bank.
- (b) The candidate should not be having any professional relationship with a bank or any Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other bank.
- Provided that a candidate having any such relationship with a bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Committee that such relationship with the bank shall be severed if he is elected as a director, and upon being elected, severs such relationship before appointment as a director of the bank.

(vii) **ट्रैक रिकार्ड और सत्यनिष्ठा** – उम्मीदवार को किसी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकारी/एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी की प्रतिकूल सूचना के अधीन नहीं होना चाहिए और किसी भी ऋण देने वाली संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

बैंकों को निर्वाचित निदेशक से प्राप्त करना होगा:

- (अ) ऐसे व्यक्ति द्वारा निदेशक का पद ग्रहण करने से पहले, निर्धारित प्रारूप में संलग्न प्रारूप में निष्पादित अनुबंध विलेख्य
- (ब) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को एक साधारण घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले से उपलब्ध कराई गई सूचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- (स) जहां निर्वाचित निदेशक सूचित करता है कि पहले दी गई सूचना में परिवर्तन हुआ है, तो बैंक ऐसे निदेशक से परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए एक नया अनुलग्नक प्राप्त करेगा।

बैंकों को यह भी करना होगा कि –

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके अलावा,

- क) सुरक्षा उपायों की एक प्रणाली लागू की जानी चाहिए, जिसमें निर्वाचित सीए निदेशक/उसकी फर्म के ग्राहकों के बारे में उचित जानकारी देना, तथा उसके/फर्म के ग्राहकों से संबंधित बैंक के ऋण/निवेश निर्णयों में भाग न लेना शामिल हो। निर्वाचित सीए निदेशक को अनिवार्य रूप से पूरी प्रक्रिया से खुद को अलग करना चाहिए तथा इस आशय के अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
- ख) निर्वाचित निदेशक को व्यावसायिक संस्थाओं में अपने हितों और निदेशक पदों का पूर्ण और उचित प्रकटीकरण करने की आवश्यकता होगी, जिसमें निदेशक व्यक्तिगत रूप से स्वयं को अलग रखेगा और उन संस्थाओं से संबंधित बैंक के ऋण/निवेश निर्णयों में भाग नहीं लेगा जिनमें उसकी रुचि है।
- ग) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उस बैंक का निर्वाचित निदेशक था, निदेशक के रूप में पद छोड़ने के पश्चात दो वर्ष की अवधि तक कोई व्यावसायिक कार्य आर्बिट्रि नहीं किया जाएगा।

जहां निर्वाचित निदेशक:

- (क) विफल रहता है
- (i) अनुबंध विलेख या घोषणा प्रस्तुत करें; या
- (ii) उचित प्रकटीकरण करें; या
- (iii) जहां उसकी रुचि हो, ऋण/निवेश निर्णयों में भाग लेने से बचें; या
- (ख) अपूर्ण या गलत प्रकटीकरण करता है, या
- (ग) ऐसी गतिविधियों में शामिल होता है जो उसे ऊपर उल्लिखित मानदंडों के अनुसार 'उपयुक्त और उचित नहीं' बनाती हैं, ऐसे निदेशक को एसबीआई अधिनियम की धारा 19 ए की उप-धारा (2) / बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3एए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाला माना जाएगा और इसके परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

(vii) **Track record and integrity** - The candidate should not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and should not be a defaulter of any lending institution.

The banks shall obtain from the elected director:

- (a) a Deed of Covenant executed in the format annexed in prescribed format, before such person assumes office of director;
- (b) a simple declaration every year as on 31st March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.
- (c) Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the bank shall obtain from such director a fresh Annexure incorporating the changes.

The banks shall also -

Ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949. In addition,

- (a) Put in place a system of safeguards, including proper disclosure of the elected CA director's/his firm's clients, and not participating in bank's credit/investment decisions involving his/firm's clients. The elected CA director should be required to compulsorily dissociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect.
- (b) Require the elected director to make a full and proper disclosure of his interests and directorships in business entities, with the director personally distancing himself from and not participating in the bank's credit/investment decisions involving entities in which he is interested.
- (c) Not allot any professional work to a person who was an elected director of that bank, for a period of two years after demitting office as such director.

Where the elected director :

- (a) fails to
- (i) submit the Deed of Covenant or declaration; or
- (ii) make proper disclosures; or
- (iii) refrain from participating in credit/investment decisions, where he is interested; or
- (b) makes incomplete or incorrect disclosures, or
- (c) involves in such activities that render him/her 'not fit and proper' as per the criteria mentioned above, such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (2) of section 19A of the SBI Act / sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and shall be liable for the consequences thereof.

समिति नए निदेशकों (नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति) के रूप में चुनाव चाहने वाले उम्मीदवारों के नामांकन की जांच करते समय ऊपर बताए गए संशोधित मानदंडों को अपनाएगी। हालांकि, मौजूदा निर्वाचित निदेशकों को पूर्व-संशोधित मानदंडों के अनुसार अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है।

(जी) भारत सरकार के दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा 3 सितंबर 2013 को जारी अपने पत्र के अनुसार, बोर्ड का नामांकन और पारिश्रमिक समिति गैर-सरकारी निदेशकों (एनओडी) के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रख सकती है, जबकि शेयरधारक निदेशक की 'उपयुक्त और उचित स्थिति' का निर्धारण भी किया जा सकता है। भारत सरकार ने 28 अप्रैल 2015 को जारी अपने पत्र के माध्यम से 8 जुलाई 2016 के संशोधनों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 25 मार्च 2015 को संशोधित दिशा-निर्देश भेजे हैं, जिनका सार इस प्रकार है:

ए) सामान्य

1. नामांकन संबंधित अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
2. नामांकित व्यक्तियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन औपचारिक योग्यता और विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा आदि के संदर्भ में किया जा सकता है। सत्यनिष्ठा और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए, आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋणों को आगे बढ़ाने के लिए की गई नागरिक कार्रवाइयों, पेशेवर निकायों में प्रवेश या निष्कासन से इनकार, नियामकों और समान निकायों द्वारा लागू प्रतिबंधों और पिछले संदिग्ध व्यावसायिक प्रथाओं आदि जानकारी पर भरोसा किया जाएगा।

बी) अनुभव

1. कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहयोग, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों पर आमतौर पर विचार किया जाएगा। वरिष्ठ पद पर 20 वर्ष का उद्योग अनुभव, संबंधित क्षेत्रों में स्थापित विशेषज्ञता (किसी प्रतिष्ठित संगठन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया हो, असफल संगठन में बदलाव लाया हो) को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जिनका कुल अनुभव 20 वर्ष का हो तथा संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर पर न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त सीएमडी/ईडी सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद। भूतपूर्व सीएमडी/ईडी को उस पीएसबी के बोर्ड में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं। पीएसबी के सेवारत सीएमडी/ईडी को किसी अन्य पीएसबी के बोर्ड में एनओडी के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

The Committee shall adopt the revised criteria stated above while scrutinizing the nomination of candidates seeking election as new directors (appointment/re-appointment). However, existing elected directors may be allowed to complete their current terms as per the pre-revised criteria.

G. GOI GUIDELINES DATED 25th MARCH 2015 & DATED 20TH JULY 2016

Further as advised by GOI, vide its letter dated 3rd September 2013 the Nomination and Remuneration Committee of the Board may keep in mind guidelines issued by GOI for Non-Official Directors (NOD), while determining "Fit and Proper Status" of the Shareholder Director also. The GOI has forwarded revised guidelines dated 25th March 2015 to Public Sector Banks vide its letter dated 28th April 2015 read with amendments dated 8th July 2016, the gist of which is as under:

a) General

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualifications and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

b) Experience

1. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, risk management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
2. Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.

3. प्रमुख प्रबंधन बैंकिंग संस्थानों के शिक्षाविद निदेशक और 20 वर्षों से अधिक अनुभव वाले प्रोफेसर।
4. 20 वर्ष के अनुभव (ऑडिट अनुभव को छोड़कर) वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
5. तथापि, मामले की योग्यता के आधार पर असाधारण मामलों में वित्त मंत्री के अनुमोदन से अनुभव मानदंड में छूट दी जा सकती है।
6. जहां तक संभव हो महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

सी) शिक्षा

एनओडी को कम से कम कारोबार प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और आईटी में विशेषज्ञता के साथ किसी भी स्टीम में स्नातक होना चाहिए।

डी) आयु

खोज/नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुशंसा की तिथि पर निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ई) कार्य अनुभव

पेशेवरों/शिक्षाविदों के पास आमतौर पर अपने विशेष क्षेत्र में 20 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।

एफ) अयोग्यताएं

- i. किसी भी श्रेणी के अंतर्गत बैंक/वित्तीय संस्थान (एफआई)/आरबीआई/बीमा कंपनी में पहले से कार्यरत निदेशक को किसी अन्य बैंक/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में नामांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
- ii. किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टे और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों, सांसदों, विधायकों, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकरों को बैंकों/एफएल/आरबीआई/बीमा कंपनियों के बोर्ड पर गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। किराया खरीद, निवेश वित्तपोषण, लीजिंग और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में लगे निवेशकों को एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, अगर उनका ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है।
- iii. किसी भी व्यक्ति को किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में एनओडी के रूप में पुनः नामित नहीं किया जा सकता है, जिस पर उसने अतीत में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत दो कार्यकाल या छह वर्ष, जो भी अधिक हो, के लिए निदेशक के रूप में कार्य किया हो।
- iv. चार्टर्ड अकाउंटेंट यदि उसकी फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।
- v. चार्टर्ड अकाउंटेंट यदि उसकी फर्म वर्तमान में बैंक में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।

3. Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.
4. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.
5. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.
6. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

c) Education

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

d) Age

The age of the Director, on the date of recommendation by Search/Nomination and Remuneration Committee should not be more than 67 years.

e) Work Experience

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

f) Disqualifications

- i. A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.
- ii. Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.
- iii. No person may be re-nominated as an NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.
- iv. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor.
- v. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in the Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor.

जी) कार्यकाल

किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन के लिए एनओडी पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा निदेशक पहले से ही चाहे लगातार या रुक-रुक कर किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में छह वर्षों के लिए एनओडी/शेयरधारक-निदेशक रह चुका हो, ।

एच) व्यावसायिक प्रतिबंध

राष्ट्रीयकृत बैंक योजना (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) स्कीम, 1970 के खंड 10(डी) के अंतर्गत किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में लाभ के पद के संबंध में व्यावसायिक प्रतिबंध के मुद्दे की अलग से जांच की जा सकती है ।

इ) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल में देश के सभी छह क्षेत्रों – उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व-का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए ।

च) भारत सरकार द्वारा दिनांक 08 जुलाई 2016 को जारी संशोधित दिशानिर्देश अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए:

- यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है, तो उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का कोई भी भागीदार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/पीएसबी में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
- यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है, तो उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का कोई भी भागीदार उसी बैंक में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होना चाहिए ।

आई) शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी कार्य दिवसों (रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार तथा बैंक अवकाशों को छोड़कर) पर दोपहर 3-00 बजे से शाम 5-00 बजे तक निरीक्षण के लिए खुला रहेगा । यदि किसी शेयरधारक को रजिस्टर या उसके किसी भाग की प्रतिलिपि या कंप्यूटर प्रिंटआउट की आवश्यकता है, तो उसे प्रति 1000 शब्द या उसके आंशिक भाग की प्रतिलिपि/मुद्रा के लिए 5/- रुपये की दर से पूर्व भुगतान पर उपलब्ध कराया जाएगा ।

जे) शेयरधारकों की सूची

शेयरधारकों को चुनाव लड़ने में सक्षम बनाने के लिए केनरा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 2000 के विनियम 64 में उल्लिखित शेयरधारकों की सूची की एक प्रति मंगलवार, 29 अक्टूबर 2024 से बैंक के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे शेयरधारकों द्वारा बंगलूरु में देय केनरा बैंक के पक्ष में 50,000/- [पचास हजार रुपये मात्र] का डिमांड ड्राफ्ट देकर खरीदा जा सकेगा ।

ग) Tenure

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company if such Director has already been a NOD / Shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

ह) Professional Restriction

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks Scheme (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

इ) Regional Representation

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country – North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

H. REVISED GUIDELINES DATED 08TH JULY 2016 ISSUED BY GOI FOR APPOINTMENT OF PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTORS:

- If a Chartered Accountant firm is currently engaged in any Public Sector Bank (PSB) as a Statutory Central Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firm shall be eligible for appointment as a Nonofficial Director in any Nationalized Bank / PSB.
- If a Chartered Accountant firm is currently engaged in a Nationalized Bank as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firms should be eligible for appointment as a Non-Official Director in the same Bank.

I. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays, 2nd & 4th Saturday and Bank holidays) between 3.00 p.m. to 5.00 p.m. If any shareholder requires a copy or computer print outs of the register or of any part thereof, the same shall be supplied to him/her on pre-payment at the rate of Rs. 5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied/printed.

J. LIST OF SHAREHOLDERS

To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the list of shareholders as mentioned in Regulation 64 of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000 will be made available at the Head office of the Bank, from Tuesday, the 29th October 2024 onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs. 50,000/- [Rupees Fifty Thousand Only] by Demand Draft in favour of Canara Bank payable at Bengaluru.

के) चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन:

निदेशक के रूप में चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार किया जाएगा बशर्ते:

क) विनियमनों के विनियमन 65 के अनुसार, वह ,क शेयरधारक है, जिसके पास बुधवार, **23 अक्टूबर 2024** को बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयर हैं, जो चुनाव में भाग लेने के लिए **निर्धारित/कट-ऑफ तिथि** है और यदि वह निर्वाचित होता है, तो बैठक की तिथि तक और उसके बाद उसके कार्यकाल के अंत तक उसके पास न्यूनतम 100 शेयर बने रहेंगे।

ख) अधिनियम के तहत निदेशकों को चुनने के हकदार कम से कम सौ शेयरधारकों या उनके विधिवत गठित अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित वैध लिखित नामांकन, बशर्ते कि शेयरधारक द्वारा नामांकन, जो एक कंपनी है, उक्त कंपनी के निदेशकों के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता है और जहां यह ऐसा बनाया गया है, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की मूल प्रति प्रमाणित की गई है जिसमें इसे पारित किया गया था, **कंपनी सचिव, सचिवीय विभाग, केनरा बैंक प्रधान कार्यालय बंगलुरु** को संबोधित करते हुए, बैंक के प्रधान कार्यालय को भेजा जाएगा और ऐसी प्रति को ऐसी कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा।

ग) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा वैध नामांकन के साथ उम्मीदवार द्वारा नामांकन के नमूना फॉर्म के अनुसार एक घोषणा और इस नोटिस में प्रस्तुत घोषणा के साथ एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ इंडियोरेंस या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा होनी चाहिए कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़ा होने के लिए तैयार है, और वह अधिनियम या विनियमन अधिनियम या योजना या विनियमों या लागू भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत निदेशक होने से अयोग्य नहीं है, साथ ही उसके व्यक्तिगत विवरण (बायो डेटा) को विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए तथा यह पुष्टि करते हुए कि उसके द्वारा प्रदान किया गया विवरण उसके सर्वोत्तम जानकारी और सहमति के अनुसार सत्य है तथा साथ ही वह यह वचन देता है कि वह घोषणा के बाद, सूचना से संबंधित ऐसी घटनाओं के बारे में बैंक को यथाशीघ्र पूरा रूप से सूचित करेगा।

घ) **12 नवंबर 2024** तक, जो नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है, वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 या केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 (इसके बाद "विनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत अयोग्य नहीं है और इसके पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या DBR&Appt&No: 9/29-67-001/2019-20 दिनांकित 02-08-2019 के अनुसार बोर्ड की

K. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

The nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

a) In terms of Regulation 65 of the Regulations, he / she is a Shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on **Wednesday, 23rd October 2024** being the **Specified/Cut-Off Date** of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.

b) The valid nomination in writing signed by at least **One Hundred Shareholders** entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by Shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall be dispatched to the Head Office / of the Bank addressed to the **Company Secretary, Secretarial Department, Canara Bank Head Office Bengaluru** and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

c) The valid nominations by the Shareholders (Minimum 100) are to be accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

d) As on **12th November 2024**, being the last date for receipt of nominations, he / she is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as "the Regulations") and thereafter has been found "Fit and Proper" by the Nomination and Remuneration Committee of the Board in terms of

नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा 'उपयुक्त और योग्य' पाया गया है, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निर्देशकों के लिए सरकार द्वारा जारी दिनांक 25 मार्च 2015 और 20 जुलाई 2016 के दिशानिर्देशों या निर्देशक के रूप में चुने जाने के लिए समय-समय पर जारी किए जाने वाले ऐसे अन्य निर्देशों के साथ पढ़ा जा सकता है।

ड) नामांकन प्रपत्र और घोषणा प्रपत्र इस नोटिस के साथ संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार विनियमन द्वारा निर्धारित हैं (प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट: www.canarabank.com पर भी उपलब्ध है)

एल) नामांकन प्रपत्र जमा करना

केंद्र सरकार के अलावा, शेयरधारकों के बीच से बैंक के निर्देशक का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में निम्नलिखित दस्तावेज एक सीलबंद लिफाफे में, जिसके ऊपर 'केनरा बैंक – निर्देशकों का चुनाव – नवंबर 2024' लिखा हो, व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक / कूरियर के माध्यम से कंपनी सचिव, सचिवालय विभाग, केनरा बैंक प्रधान कार्यालय 112, जे सी रोड बेंगलूरु को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि वे ईजीएम के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम चौदह दिन पहले यानी 12 नवंबर 2024 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले किसी भी कार्य दिवस पर पहुंच जाएं:

- क) विधिवत भरा हुआ घोषणा पत्र;
- ख) चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र न्यूनतम सौ शेयरधारकों के लिए वैध नामांकन प्रपत्र
- ग) नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनबद्धता, साथ में संबंधित दस्तावेज विवरण जैसे बायोडाटा की स्व-सत्यापित प्रतियां, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, बैंक से संबंधित अनुभव आदि।
- घ) उक्त नामांकन प्रपत्र और अन्य दस्तावेज सभी प्रकार से पूर्ण होने चाहिए, अन्यथा नामांकन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

एम) नामांकनों की जांच और निर्देशकों का चुनाव:

- ए) नामांकनों की जांच बुधवार, 13 नवंबर 2024 को शुरू होगी, अर्थात् नामांकन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद पहला कार्य दिवस और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो कारणों को अभिलेख में दर्ज करने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ड) वैध नामांकनों की जांच भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा या योजना के खंड 14, के अनुसार बोर्ड द्वारा भी की जाएगी। चूंकि आरबीआई के निर्देश/अधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का स्वरूप समान हैं, इसलिए बैंक उम्मीदवारों को उपयुक्त एवं योग्य स्थिति का निर्धारण करते समय अधिक कठोर समय पर विचार कर सकता है।

the Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 of Reserve Bank of India read with Guidelines dated 25th March 2015 and 20th July 2016 issued by the Government for Non Official Directors of the Public Sector Banks or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a Director.

- e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation as per the **proforma annexed** to this notice (The proforma is also available on the Bank's website: www.canarabank.com)

L. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the Shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in formats annexed to this notice, in a **sealed envelope** superscribing thereon "**Canara Bank - Election of Directors – November 2024**" in person or through Regd. Post / Courier addressed to the **Company Secretary, Secretarial Department, Canara Bank Head Office 112, J C Road Bengaluru** so as to reach on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the EGM i.e., on or before **5.00 p.m., on 12th November 2024:**

- a) Duly filled in Declaration Form;
- b) Valid Nomination Forms minimum of hundred Shareholders entitled to participate in the election;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self-attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience relevant to the Bank, etc.,
- d) The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

M. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

- a) The scrutiny of Nominations shall commence on Wednesday, the 13th November 2024 i.e. the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons there for.
- b) Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) of the Board in terms of the RBI Directions and GOI Guidelines or by Board in terms of Clause 14A of the Scheme. As the restrictions imposed by RBI Direction/Notification and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidate(s).

- च) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के विशेष प्रावधान, खंड 14, के अनुसार, यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक के लिए कोरम समिति में किसी रिक्ति के अस्तित्व या उसके सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है, तो बोर्ड स्वयं उम्मीदवार(ओं) की उपयुक्त एवं योग्य स्थिति निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर सकता है।
- छ) बैंक नामांकन की जांच के समय या एनआरसी/बोर्ड के परामर्श के अनुसार उम्मीदवार से उसकी उम्मीदवारी के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी एवं दस्तावेज मांग सकता है।
- ज) यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली एक रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन है, तो इस प्रकार नामांकित और योग्य पाए गए उम्मीदवार को तुरंत निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम और पता इस प्रकार निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, कोई चुनाव/मतदान नहीं होगा और केवल चुनाव के उद्देश्य से बुलाई गई असाधारण आम बैठक रद्द हो जाएगी। नव निर्वाचित निदेशक 30 नवंबर 2024 से पदभार ग्रहण करेंगे, जिस दिन रिक्ति उत्पन्न होती है।
- झ) यदि एक से अधिक वैध नामांकन हैं, तो उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव कराया जाएगा तथा जिस उम्मीदवार को अपने पक्ष में बहुमत प्राप्त होगा, अर्थात् दूरस्थ ई-वोटिंग और बैठक में मतदान का योग, उसे निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम घोषित किया जाएगा तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित भी किया जाएगा।
- एन) उम्मीदवारी वापस लेना**
- यदि एक से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें उपयुक्त एवं योग्य माना गया है, और यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह बैंक के बंद होने के समय से पहले किसी भी समय, यानी **21 नवंबर 2024 को शाम 5.00 बजे तक कंपनी सचिव, सचिवालय विभाग, केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112 जे सी रोड, बंगलूरु** को संबोधित एक हस्ताक्षरित पत्र भेजकर या **hosecretarial@canarabank-com** पर ई-मेल द्वारा स्कैन और हस्ताक्षरित पत्र भेजकर ऐसा करने के लिए हकदार होगा।
- ओ) मतभेद**
- यदि कोई मतभेद होता है, तो उसका निपटारा केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के संशोधित विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा।
- c) In terms of Clause 14A, Special Provision of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 if the Board is satisfied that quorum for meeting of Nomination & Remuneration Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in the Committee or recusal by member thereof, the Board itself may consider to undertake the due diligence process to determine the Fit & Proper status of the Candidate(s).
- d) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the NRC/Board seek further information, documents from the candidate(s) in support of his / her candidature.
- e) If there are only one valid nomination for the one vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated and found Fit & Proper, shall be deemed to be elected forthwith and his / her name and address shall be published as so elected. In such an event, there shall not be any election/voting and the Extraordinary General Meeting convened solely for the purpose of the election shall stand cancelled. The newly elected director will assume office from the 30th November 2024, the day on which the vacancy arises.
- f) If there is more than one valid nomination, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and the candidate in receipt of the majority of the votes in his/her favour i.e., aggregate of remote e-voting and voting at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced and also published in newspapers.
- N. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE**
- If there are more than one candidate who have been determined as Fit & Proper, and if any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e., **on or before 5.00 p.m. on 21st November 2024** by sending a signed letter addressed to **Company Secretary, Secretarial Department, Canara Bank, Head Office, 112 J C Road, Bengaluru** or sending scanned and signed letter over e-mail at **hosecretarial@canarabank.com**.
- O. DISPUTES**
- If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended.

पी) उद्घरण

शेयरधारकों के लाभ के लिए लागू अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के प्रासंगिक भागों के अंश बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर पोस्ट किए गए हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक इसे डाउनलोड कर सकते हैं या बैंक के कंपनी सचिव को सचिवालय विभाग, केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112 जे सी रोड, बंगलूरु में लिखकर इसे प्राप्त कर सकते हैं।

क्यू) निदेशकों का हित

बैंक के निदेशक अपनी शेयरधारिता की सीमा तक तथा ऐसे निदेशक जो अपना नामांकन दाखिल करते हैं, उन्हें कारोबार की उपरोक्त मदों से संबंधित या हितबद्ध माना जाएगा।

आर) शेयरधारक निदेशकों का चुनाव – प्रासंगिक अधिनियमों, योजनाओं और विनियमों आदि के उद्घरण।

शेयरधारक निदेशकों के चुनाव और केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले ऐसे निदेशकों की संख्या के संबंध में प्रावधान बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) में निहित हैं।

संबंधित धाराएं

- (1) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949,
- (2) बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970,
- (3) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970
- (4) केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000, यथा संशोधित, शेयरधारकों की जानकारी के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

(1) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

पर्याप्त हिताधिकार – धारा 5 (एनई):

- (i) किसी कंपनी के संबंध में, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या उसके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा, चाहे अकेले या दोनों मिलकर उसके शेयरों में लाभकारी हित धारण करना, जिस पर चुकता राशि पांच लाख रुपये या कंपनी की चुकता पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक हो, जो भी कम हो;
- (ii) किसी फर्म के संबंध में, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या उसके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा उसमें धारित लाभकारी हित, चाहे अकेले या साथ में, जो उक्त फर्म के सभी भागीदारों द्वारा सब्सक्राइब की गई कुल पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।

सामान्य निदेशकों का निषेध – धारा 16(1):

भारत में निगमित किसी भी बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल में ऐसा कोई व्यक्ति निदेशक नहीं होगा जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो।

P. EXTRACTS

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification/ GOI Guidelines are posted on Bank's website: www.canarabank.com for the benefit of the Shareholders. Shareholders desirous of contesting elections may download the same or write to the Company Secretary of the Bank at Secretarial Department, Canara Bank, Head Office, 112 J C Road, Bengaluru and obtain the same.

Q. INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid items of business.

R. ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTORS - EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.

The provisions regarding Election of Shareholder Directors and number of such Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government are contained in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The relevant Sections of the

- (1) Banking Regulations Act, 1949,
- (2) Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970,
- (3) Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970
- (4) Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, are reproduced below for the information of the shareholders.

(1) THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Substantial Interest - Section 5(ne):

- (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the shares thereof, the amount paid-up on which exceeds five lakh of rupees or ten per cent of the paid-up capital of the company, whichever is less;
- (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.

Prohibition of Common Directors - Section 16(1):

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

ऋण और अग्रिम पर प्रतिबंध – धारा 20:

- 1) धारा 77 में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अनुसार, कोई भी बैंकिंग कंपनी
 - ए) अपने स्वयं के शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान करना, या
 - इ) किसी को या उसकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम देने के लिए कोई प्रतिबद्धता दर्ज करना—
 - (i) इसके निदेशकों में से कोई भी
 - (ii) कोई भी फर्म जिसमें उसका कोई निदेशक भागीदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर के रूप में हितबद्ध है, या
 - (iii) कोई कंपनी जो बैंकिंग कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी है, या कोई सरकारी कंपनी है जिसकी सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी का बैंकिंग कंपनी का कोई भी निदेशक निदेशक, प्रबंध एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर है या जिसमें वह पर्याप्त हित रखता है, या
 - (iv) कोई भी व्यक्ति जिसके संबंध में उसका कोई निदेशक साझेदार या गारंटर हो।
- 2) जहां किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा दिया गया कोई ऋण या अग्रिम ऐसा है कि यदि उपधारा (1) का खंड (ख) उस तारीख को प्रवृत्त होता, जिसको बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के प्रारम्भ के पश्चात बैंकिंग कंपनी द्वारा ऋण या अग्रिम दिया गया था या दिया जाता है, तो उसे देने की प्रतिबद्धता नहीं की जा सकती थी, किन्तु ऐसे प्रारम्भ से पूर्व की गई प्रतिबद्धता के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी को ऋण या अग्रिम के कारण देय राशियों को, उस पर देय ब्याज सहित, यदि कोई हो, ऋण या अग्रिम प्रदान करने के समय निर्धारित अवधि के भीतर या जहां ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है, वहां उक्त धारा 5 के प्रारम्भ से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व वसूल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे; बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक, किसी भी मामले में बैंककारी कंपनी द्वारा इस संबंध में लिखित में आवेदन किए जाने पर, ऋण या अग्रिम की वसूली के लिए अवधि को ऐसी तारीख तक बढ़ा सकेगा, जो उक्त धारा 5 के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि से अधिक की तारीख नहीं होगी और ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ठीक समझे:
बशर्ते कि यह उपधारा तब लागू नहीं होगी जब संबंधित निदेशक बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्यथा के कारण रिक्त हो।

Restrictions on Loans and Advances - Section 20:

- 1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall-
 - a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of-
 - (i) any of its Directors
 - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - (iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.
- 2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5; Provided that the Reserve Bank may, in any case on application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit:
Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

- 3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई ऋण या अग्रिम, या उसका कोई भाग भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना विप्रेषित नहीं किया जाएगा, और ऐसे अनुमोदन के बिना कोई भी छूट शून्य और प्रभावहीन होगी।
- 4) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा देय कोई ऋण या अग्रिम राशि उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को वापस नहीं की गई है, वहां यदि वह उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक है तो यह समझा जाएगा कि उसने उक्त तारीख को अपना पद रिक्त कर दिया है।

इस धारा में स्पष्टीकरण:

- 'ऋण या अग्रिम' में कोई भी लेनदेन शामिल नहीं होगा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक, लेनदेन की प्रकृति, उसके भीतर की अवधि, और तरीके और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर सकता है। जिसमें, लेन-देन के कारण देय किसी भी राशि की वसूली होने की संभावना है, जमाकर्ताओं के ब्याज और अन्य प्रासंगिक विचार, इस धारा के प्रयोजन के लिए ऋण या अग्रिम नहीं होने के रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट होते हैं।
 - 'निदेशक' में बैंकिंग कंपनी द्वारा उसके सभी या किसी भी मामले के प्रबंधन के संबंध में प्रबंधन या सलाह देने के उद्देश्य से गठित भारत में किसी भी बोर्ड या समिति का सदस्य शामिल है।
- 5) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई लेनदेन इस धारा के प्रयोजन के लिए ऋण या अग्रिम है, तो इसे भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 1956 से संबंधित उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत किए गए किसी संदर्भ को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत किए गए संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

(2) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970

मताधिकार पर प्रतिबंध:

धारा 3(2ई): केन्द्र सरकार के अलावा, तत्संबंधी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, तत्संबंधी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में मतदान अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

निदेशक मंडल की संरचना:

धारा 9(3) (आई): जहां धारा 3 की उपधारा (2बी) के खंड (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी है:

- क) कुल चुकता पूंजी का सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं, एक निदेशक
- ख) कुल चुकता पूंजी का सोलह प्रतिशत से अधिक, किन्तु बत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं, दो निदेशक

- 3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- 4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then, such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section:

- "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section.
 - "Directors" includes a member of any Board or Committee in India constituted by Banking Company for the purpose of managing or for the purpose of advising it in regard to the management of all or any of its affairs.
- 5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

Further, any reference made under aforesaid provisions pertaining to the Companies Act, 1956 shall be suitably construed as references made under relevant provisions under the Companies Act, 2013.

(2) THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on Voting Rights:

Section 3(2E): No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors:

Section 9(3) (i): Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is:

- a) not more than sixteen per cent of the total paid up capital, one Director
- b) more than sixteen per cent, but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, two Directors.

ग) कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक, तीन निदेशक जो केन्द्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों द्वारा अपने में से चुने जाएंगे।

बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी भी ऐसे निदेशक के चुनाव के बाद कार्यभार संभालने पर, खंड (एच) के तहत नामित निदेशकों की समान संख्या योजना में निर्दिष्ट तरीके से सेवानिवृत्त हो जाएगी।

बशर्ते कि यदि बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) और वित्तीय संस्थान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने पर या उससे पहले, किसी नए बैंक में निर्वाचित निदेशकों की संख्या उप-खंड (I) या उप-खंड (II) या उप-खंड (III) में निर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से अधिक हो, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रारंभ से पहले चुने गए निदेशकों की ऐसी अतिरिक्त संख्या उस तरीके से सेवानिवृत्त हो जाएगी, जैसा कि योजना में निर्दिष्ट किया जा सकता है और ऐसे निदेशक अपने कार्यकाल की समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए किसी भी मुआवजे का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

धारा 9(3ए): उक्त खंड (i) के अंतर्गत निर्वाचित होने वाले निदेशक—

(ए) निम्नलिखित में से एक या अधिक मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, अर्थात:

- कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थव्यवस्था
- वित्त
- कानून
- लघु उद्योग
- कोई अन्य विषय जिसका विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा।

(आरबीआई ने 24 नवंबर 2016 को जारी अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.एफ्टी.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 के माध्यम से विशेषज्ञता के क्षेत्रों को बढ़ाकर इसमें (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन को शामिल किया है, जो उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें बैंकों में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है)

(B) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करना या

(C) किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करना

धारा 9(3एए): उप-धारा 3(ए) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा अधिनियम या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति उप-धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित अन्य मानदंडों के आधार पर 'उपयुक्त और योग्य' वाला व्यक्ति न हो।

c) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

Section 9(3A): The Directors to be elected under the said clause (i) shall-

- have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely:
 - Agricultural and rural economy
 - Banking
 - Co-operation
 - Economics
 - Finance
 - Law
 - Small scale industry
- any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

(RBI vide its circular no.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

(B) Represent the interests of depositors; or

(C) Represent the interest of farmers, workers and artisans

Section 9(3AA): Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

धारा 9(3एबी): भारतीय रिजर्व बैंक उप-धारा 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्राधिकरण, ऐसे निर्धारण का तरीका, ऐसे निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे अन्य मामले भी निर्दिष्ट कर सकता है, जिन्हें आवश्यक या उसके लिए प्रासंगिक माना जाए।

धारा 9(3बी): जहां भारतीय रिजर्व बैंक की राय है कि उप-धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निर्वाचित तत्स्थानी नए बैंक का कोई निदेशक उप-धारा (3ए) और (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, वहां वह ऐसे निदेशक और बैंक को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और ऐसे हटाए जाने पर निदेशक मंडल उप-धारा (3ए) और (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप में तब तक सहयोजित करेगा जब तक कि अगली वार्षिक आम बैठक में तत्स्थानी नए बैंक के शेरधारकों द्वारा किसी निदेशक का विधिवत चुनाव नहीं कर लिया जाता है और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को तत्स्थानी नए बैंक के शेरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत चुना गया माना जाएगा।

निष्ठा और गोपनीयता के संबंध में दायित्व:

धारा 13(2): प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या समिति का सदस्य, या किसी नए बैंक का लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपने कर्तव्यों का कार्यभार संभालने से पहले तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में निष्ठा और गोपनीयता की घोषणा करेगा।

(3) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970

निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल: खंड 9(4):

निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष तक पद पर बना रहेगा और पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा। बशर्ते कि ऐसा कोई निदेशक लगातार छह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा।

निदेशकों का पद रिक्त होना:

1. खंड 11:

यदि कोई निदेशक खंड 10 में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है या बोर्ड की लगातार तीन बैठकों से अधिक में बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है, तो यह माना जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और तत्पश्चात् उसका पद रिक्त हो जाएगा।

2. अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रबंध निदेशक या निदेशक सहित अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक, केन्द्रीय सरकार को लिखित में नोटिस देकर अपना पद त्याग सकता है और उस सरकार द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर यह माना जाएगा कि उसने अपना पद त्याग दिया है और कोई अन्य निदेशक केन्द्रीय सरकार को लिखित में नोटिस देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा त्यागपत्र की सूचना प्राप्त होने पर प्रभावी होगा।

Section 9(3AB): The Reserve Bank of India may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Section 9(3B): Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next Annual General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

(3) THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Term of office of elected Director: Clause 9(4):

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided that no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Vacation of office of Directors:

Clause 11:

1. If a Director becomes subject to any of the disqualifications specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.

3. पूर्वगामी उप-खण्डों के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 के खण्ड (ई) या खण्ड (एफ) में निर्दिष्ट निदेशक का पद, जैसे ही निदेशक, उस राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी या कर्मचारी नहीं रह जाता है जिसका वह निदेशक है, रिक्त हो जाएगा।
4. जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा किसी निदेशक के पद पर कोई रिक्ति होती है, तो उसे अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसार भरा जाएगा।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना:

खंड 11ए:

केन्द्रीय सरकार के अलावा, शेयरधारक, ऐसे शेयरधारकों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, जो कुल मिलाकर ऐसे सभी शेयरधारकों द्वारा धारित शेयर पूंजी के आधे से कम नहीं है, धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निर्वाचित किसी निदेशक को हटा सकते हैं तथा उसके स्थान पर रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को चुन सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के पद पर रिक्ति को भरना:

खंड 11 बी:

1. जहां किसी निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल समाप्त होने से पहले कोई रिक्ति होती है, तो रिक्ति को चुनाव द्वारा भरा जाएगा। बशर्ते कि जहां रिक्ति की अवधि छह माह से कम होने की संभावना हो, वहां रिक्ति को शेष निदेशकों द्वारा भरा जा सकेगा।
2. उप-खण्ड (1) के अधीन, जैसा भी मामला हो, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती के कार्यकाल के शेष भाग के लिए पद धारण करेगा :

निदेशकों द्वारा हितों का प्रकटीकरण :

खंड 12(8):

कोई निदेशक, जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित या हितबद्ध है, प्रासंगिक परिस्थितियों के उसके ज्ञान में आने के पश्चात यथाशीघ्र बोर्ड के समक्ष अपने हित की प्रकृति का खुलासा करेगा और बोर्ड की बैठक में उस समय उपस्थित नहीं होगा जब किसी ऐसे अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही हो, जब तक कि अन्य निदेशकों द्वारा सूचना प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उसकी उपस्थिति अपेक्षित न हो और कोई भी निदेशक, जिसकी इस प्रकार उपस्थिति अपेक्षित न हो, किसी ऐसे अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा:

बशर्ते कि इस उप-खण्ड में निहित कोई भी बात ऐसे निदेशक पर केवल इस आधार पर लागू नहीं होगी कि वह:

3. Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee other than workman of the Nationalised Bank of which he is a Director.
4. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director:

Clause 11A :

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected Director:

Clause 11B :

1. Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.
Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors.
2. A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors:

Clause 12(8):

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalised Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- (iv) हाथ उठाकर मतदान के किसी संकल्प पर मतदान के परिणाम की घोषणा से पहले या उसके बाद, बैठक के अध्यक्ष द्वारा स्वप्रेरणा से मतदान कराने का आदेश दिया जा सकता है, और मतदान कराने का आदेश उसके द्वारा किसी शेयरधारक या शेयरधारकों द्वारा की गई मांग पर दिया जाएगा जो व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हों और जो संकल्प के संबंध में कुल मतदान संख्या के पांचवें हिस्से से कम नहीं हो बैंक में ऐसे शेयर रखते हों जो संकल्प पर मतदान करने का अधिकार प्रदान करते हों।
- (v) मतदान की मांग किसी भी समय मांग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा वापस ली जा सकती है।
- (vi) बैठक के स्थगन या अध्यक्ष के चुनाव के प्रश्न पर मतदान की मांग तुरन्त की जाएगी।
- (vii) किसी अन्य प्रश्न पर मतदान की मांग, मांग किए जाने के समय से अड़तालीस घंटे के बाद नहीं की जाएगी, जैसा कि बैठक का अध्यक्ष निर्देश दे।
- (viii) किसी व्यक्ति को वोट देने की योग्यता के संबंध में बैठक के अध्यक्ष का निर्णय, तथा मतदान की स्थिति में किसी व्यक्ति को कितने वोट देने हैं, इस संबंध में निर्णय अंतिम होगा।

विनियमन 63.

आम बैठक में चुने जाने वाले निदेशक:

- i) अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत एक निदेशक को केनरा बैंक की आम बैठक में रजिस्टर में मौजूद शेयरधारकों द्वारा, केन्द्र सरकार के अलावा, अपने बीच से चुना जाएगा।
- ii) जहां किसी आम बैठक में निदेशक का चुनाव होना है, वहां इसकी सूचना बैठक बुलाने की सूचना में शामिल की जाएगी। प्रत्येक ऐसी सूचना में निर्वाचित होने वाले निदेशकों की संख्या और उन रिक्तियों का विवरण निर्दिष्ट किया जाएगा जिनके संबंध में चुनाव होना है।

विनियमन 64.

शेयरधारकों की सूची:

- i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (i) के अंतर्गत निदेशक के चुनाव के प्रयोजन के लिए रजिस्टर पर उन शेयरधारकों की सूची तैयार की जाएगी जिनके द्वारा निदेशक का चुनाव किया जाना है।
- ii) सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और सांकेतिक संख्या, शेयरों के पंजीकरण की तारीख और बैठक के लिए निर्धारित तारीख को उनके पास मौजूद वोटों की संख्या, जिसमें चुनाव होगा, शामिल होगी और सूची की प्रतियां बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर, प्रधान कार्यालय में आवेदन करने पर, खरीद के लिए उपलब्ध होंगी।

- (iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.
- (v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.
- (vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.
- (vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty-eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.
- (viii) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in case of a poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

Regulation 63.

Directors to be elected at General Meeting:

- i) A Director under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the Shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of Canara Bank.
- ii) Where an election of a Director is to be held at any General Meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

Regulation 64.

List of Shareholders:

- i) For the purpose of election of a Director under Sub-Regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchases at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

विनियमन 67.

चुनाव संबंधी विवाद:

- i) यदि किसी निर्वाचित माने गए या घोषित किए गए व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता के बारे में, या किसी निदेशक के चुनाव की वैधता के बारे में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होता है, तो कोई भी इच्छुक व्यक्ति, जो ऐसे चुनाव में वोट देने का हकदार उम्मीदवार या शेयरधारक है, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख से सात दिनों के भीतर, केनरा बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को लिखित रूप में इसकी सूचना दे सकता है और उक्त सूचना में उन आधारों का पूरा विवरण देगा जिन पर उसे चुनाव की वैधता पर संदेह है या विवाद है।
- ii) उप-विनियमन (i) के तहत सूचना प्राप्त होने पर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में, केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक तुरंत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में, कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और (ई) या (एफ) या (जी) या (एच) के तहत नामित निदेशकों में से किसी दो से मिलकर बनी समिति के निर्णय के लिए इस तरह के संदेह या विवाद को संदर्भित करेंगे।
- iii) उप-विनियम (ii) में निर्दिष्ट समिति ऐसी जांच करेगी जैसा वह आवश्यक समझेगी और यदि उसे पता चलता है कि चुनाव एक वैध चुनाव था, तो वह चुनाव के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी या, यदि उसे पता चलता है कि चुनाव वैध नहीं था। एक वैध चुनाव, यह जांच शुरू होने के 30 दिनों के भीतर, ऐसा आदेश देगा और नए चुनाव कराने सहित ऐसे निर्देश देगा जो समिति को परिस्थितियों में उचित प्रतीत होंगे।
- iv) इस विनियमन के अनुसरण में ऐसी समिति का आदेश और निर्देश निर्णायक होगा।

विनियमन 68.

मतदान अधिकार का निर्धारण:

- i) अधिनियम की धारा 3(2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक जो सामान्य बैठक की तिथि से पूर्व रजिस्टर बंद होने की तिथि को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हुआ है, को ऐसी बैठक में हाथ उठाने पर एक वोट का अधिकार होगा तथा मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट का अधिकार होगा।
- ii) अधिनियम की धारा 3(2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, उपर्युक्त अनुसार वोट देने का हकदार प्रत्येक शेयरधारक, जो कंपनी न होते हुए, व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित है या जो कंपनी होते हुए, विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित है, को हाथ उठाकर मतदान करने पर एक वोट का अधिकार होगा और मतदान के मामले में, उप-विनियमन (i) में ऊपर बताए अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट का अधिकार होगा।

Regulation 67.

Election Disputes:

- i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of Canara Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- ii) On receipt of an intimation under Sub-Regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Canara Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman & Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (e) or (f) or (g) or (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- iii) The committee referred to in Sub-Regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Regulation 68.

Determination of Voting Rights:

- i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a General Meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in Sub-Regulation (i).

- iv) बैंक के शेयरधारक, जो सामान्य बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार हैं, स्वयं के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति (चाहे वह शेयरधारक हो या न हो) को उपस्थित होने और मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के हकदार होंगे; किन्तु इस प्रकार नियुक्त प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

विनियमन 69.

विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान:

- i) एक शेयरधारक, जो केंद्र सरकार या एक कंपनी है, एक प्रस्ताव द्वारा, जैसा भी मामला हो, अपने किसी भी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी भी आम बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है और इस प्रकार अधिकृत व्यक्ति (संदर्भित) इन विनियमों में 'विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि' के रूप में केंद्र सरकार या कंपनी की ओर से उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि वह केनरा बैंक का एक व्यक्तिगत शेयरधारक था। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसे मामले में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक केंद्र सरकार/कंपनी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।
- ii) कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में केनरा बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में भाग नहीं लेगा या मतदान नहीं करेगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले प्रस्ताव की एक प्रति उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित न हो जाए, जिसमें बैठक हुई थी। यह पारित किया गया था कि इसे बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम चार दिन पहले केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

विनियमन 70.

प्रॉक्सी:

- i) कोई भी प्रॉक्सी दस्तावेज तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में, उस पर उसके द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किया गया हो या संयुक्त धारकों के मामले में, उस पर रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किया गया हो या निगमित निकाय के मामले में, उसके अधिकारी या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किया गया हो;
- बशर्ते कि प्रॉक्सी के किसी लिखत पर किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त हिताधिकार रूप से हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, जो किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ है, यदि उसका चिह्न उस पर चिपका हुआ है और न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या बीमा के उप-रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या केनरा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित है।

- i) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Regulation 69.

Voting by Duly Authorised Representative:

- i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a 'duly authorized representative' in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of Canara Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government / Company.
- ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Canara Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Canara Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

Regulation 70.

Proxies:

- i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorized in writing or in the case of joint holders, it is signed by the Shareholder first named in the register or his attorney duly authorized in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing;
- Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Canara Bank.

- ii) कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि उस पर विधिवत मुहर न लगा दी जाए और उसकी एक प्रति बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम चार दिन पहले केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न करा दी जाए, साथ में पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य प्राधिकारी (यदि कोई हो) जिसके तहत, उस पर हस्ताक्षर किए गए हों या उस पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य प्राधिकारी की एक प्रति, जिसे नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया गया हो, जब तक कि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य प्राधिकारी पहले से केनरा बैंक में जमा और पंजीकृत न हो।
- iii) कोई भी प्रॉक्सी दस्तावेज तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह फॉर्म 'बी' में न हो।
- iv) केनरा बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का दस्तावेज अपरिवर्तनीय और अंतिम होगा।
- v) वैकल्पिक रूप से दो अनुदानकर्ताओं के पक्ष में दिए गए प्रॉक्सी के साधन के मामले में, एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किए जाएंगे।
- vi) इस विनियमन के अंतर्गत प्रॉक्सी दस्तावेज प्रदान करने वाला व्यक्ति उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे ऐसा दस्तावेज संबंधित है।
- vii) किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो केनरा बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो।

निदेशक मंडल के आदेश
कृते केनरा बैंक

प्रबंध निदेशक व मु.का.अ.

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 28.10.2024

- ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of Canara Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority, certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with Canara Bank.
- iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form 'B'.
- iv) An instrument of proxy deposited with Canara Bank shall be irrevocable and final.
- v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- vii) No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Canara Bank.

By Order of the Board of Directors
For CANARA BANK

Managing Director & CEO

Place: Bengaluru
Date: 28.10.2024

क्र.सं.

नामांकन फॉर्म

सेवा में
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
केनरा बैंक
प्रधान कार्यालय: बेंगलूरु

प्रिय महोदय,

निदेशक का चुनाव

आपकी ईजीएम सूचना दिनांक 28.10.2024 के संदर्भ में मैं,केनरा बैंक का शेयरधारक, जो
बुधवार, दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को चुनाव में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट दिनांक को 2 रुपये प्रति शेयर के
..... इक्विटी शेयर रखता हूँ, श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी
..... जो
में रहते हैं, को बुधवार, 27 नवंबर 2024 को होने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का
अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (प) में प्रावधान के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करते हुए केनरा बैंक
के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए नामित करता हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि अमूर्तीकृत नहीं है)	
डीपी आईडी संख्या और क्लाइंट आईडी संख्या (यदि अमूर्तीकृत है)	
स्थान	
दिनांक	

नोट:

1. किसी कॉर्पोरेट निकाय द्वारा नामांकन के मामले में, नामांकन फॉर्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रति उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के साथ संलग्न होनी चाहिए जिसमें इसे पारित किया गया था।
2. उम्मीदवार को नामांकित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए।
3. यदि उपरोक्त में से कोई भी कॉलम खाली छोड़ दिया जाता है या विवरण गलत पाया जाता है, तो नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है।

Sr. No.

NOMINATION FORM

To
The Managing Director & CEO,
CANARA BANK
Head office: Bengaluru.

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTOR

With reference to your EGM Notice dated 28.10.2024 I, _____
a shareholder of Canara Bank holding _____ equity shares of Rs.2/- each as on **Wednesday the 23rd October 2024** (i.e.,) the specified date for participating in the Election do hereby nominate Sri/ Smt. _____ son / daughter / wife of _____ residing at _____ for being elected as a Director of Canara Bank representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9(3) (i) of The Banking companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on Wednesday, the **27th November 2024**.

Name	
Signature	
Number of shares	
Regd. Folio No. (If not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

Notes:

1. In case of nomination by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the Meeting at which it was passed.
2. Signature of the Shareholders nominating the candidate should match with the specimen signature available with the share transfer agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

घोषणा

मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती
निवासी
एतद्वारा पुष्टि करता हूँ कि:

- क. मैं एक शेयरधारक हूँ, जिसके पास बुधवार 23 अक्टूबर 2024 को बैंक के 2 रुपये प्रति शेयर मूल्य के इक्विटी शेयर हैं, अर्थात् चुनाव में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट/कट-ऑफ दिनांक, और यदि बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किया जाता हूँ, तो कार्यकाल के अंत तक शेयरों को धारण करने का वचन देता हूँ।
- ख. "मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त (vi) कानून, (vii) लघु उद्योग, या किसी अन्य मामले में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, जिसका विशेष ज्ञान आईटी/भुगतान और निपटान प्रणाली/मानव संसाधन/जोखिम प्रबंधन/व्यवसाय प्रबंधन आदि और व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा) और मैं अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 ए के अनुसार जमाकर्ताओं या किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और इसके सबूत के तौर पर, मैं संबंधित प्रशासपत्र प्रस्तुत करता हूँ, और

(*जो भी लागू न हो उसे हटा दें.)

- ग. मैं क्रमांक वाले नामांकन स्वीकार करता हूँ; तथा
- घ. मैं केनरा बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूँ; और
- ङ. मैं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, संशोधित केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रासंगिक अधिसूचनाएं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत बैंक का निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूँ।
- च. मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत अयोग्य नहीं हूँ; और
- छ. मैं न तो किसी लाभ के पद पर हूँ और न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक का कर्मचारी हूँ।
मैं आगे यह घोषणा करता हूँ कि:
- ज. मुझे कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है या मैंने भुगतान निलंबित नहीं किया है या अपने लेनदारों के साथ समझौता नहीं किया है; और
- झ. मुझे विकृत नहीं हूँ और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है और मुझे किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया है जिसमें नैतिक पतन शामिल है; और
- ञ. मुझे किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है; और
- ट. निर्वाचित होने पर मैं बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध, यदि कोई हो, तुरन्त समाप्त कर दूंगा और निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान और उसके बाद दो वर्ष की अवधि के लिए बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं रखूंगा; और
- ठ. मैं किसी बैंक या रिजर्व बैंक या किसी वित्तीय संस्थान (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक में एनओएफएचसी धारक बोर्ड का सदस्य नहीं हूँ।
- ड. मैं किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा नहीं हूँ;
- ढ. मैंने अतीत में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में छह वर्षों तक कार्य नहीं किया है, चाहे वह लगातार हो या बीच-बीच में।
- ण. मैं स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में शामिल नहीं हूँ।
- त. मैं संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि) के सदस्य का पद नहीं संभाल रहा हूँ।
- थ. मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ, जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।

DECLARATIONS

I, son/daughter/wife of Shri/Smt.....
resident of.....

hereby confirm that:

- a. I am a Shareholder holding equity shares of Rs.2/- each of the Bank as on Wednesday 23rd October 2024, i.e., the Specified/Cut-Off Date for participating in the election, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;
- b. *I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry, or any other matter the special knowledge of IT/Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk Management/Business Management etc. and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and **(*Delete whichever is not applicable.)**
- c. I accept the nominations numbering; and
- d. I am willing to contest for the election of Director of Canara BANK; and
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Canara Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 as amended, relevant Notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non-Official Directors of Public Sector Banks and
- f. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and
- g. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

I further declare that :

- h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and
- i. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and
- j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and
- k. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
- l. I am not a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.
- m. I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities;
- n. I have not served as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
- o. I am not engaging in the business of stock broking.
- p. I am not holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.)
- q. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalized bank or State Bank of India.

- r. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Canara Bank in which nomination for election is filed.
- s. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Canara Bank nor I am engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Canara Bank.
- t. I am not having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank and undertake sever the relationship with the Bank if elected before assuming charge as a director.
- u. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.
- v. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI circular dated 02.08.2019) before assuming office as a director;
- w. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and
- x. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and
- y. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects, and
- z. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies / banks:

Name of the Company / Bank	Directorship details viz. tenure, nature of directorship, period etc.

(add additional rows / sheets if necessary)

- aa. I enclose my personal details which are to the best of knowledge and belief true and complete in all respects; and

Name	
Signature	
Mobile Number	
Email ID	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

Note: Candidates may delete / modify the statement/s contained in this declaration.

The above declaration was signed before me.

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Canara Bank or any Nationalized Bank.

Name of Bank: Canara Bank
Declaration and Undertaking by a Proposed Director
(with appropriate enclosures)

Please affix
latest
passport size
photograph
here

Sr No	Particulars	Information Disclosed		
I. Personal Details:				
1.	Name in full	First Name	Middle Name	Last Name
2.	Father's name			
3.	Gender (M/F/others)			
4.	Present address			
5.	E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:			
6.	Nationality			
7.	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age			
8.	Educational qualifications			
9.	Director Identification Number (DIN)			
10.	Aadhaar Number (Optional)			
11.	(a) Permanent Account Number (PAN)			
	(b) Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction) / name and address of Income Tax Circle / Ward	Date of filing	Amount of Tax Paid (INR)	
	(c) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years			
12.	Permanent address			

13.	लेखाशास्त्र, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन या किसी अन्य मामले में से एक या अधिक मामलों के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव पर संक्षिप्त विवरण के रूप में विवरण, जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रिजर्व बैंक की राय में बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी होगा।				
14.	वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव पर संक्षिप्त विवरण)				
15.	पिछले दस वर्षों का न्यूनतम अनुभव, जिसमें संगठन(ओं) का पूरा पता, शामिल होने की तिथि, कार्यमुक्त होने की तिथि (कारण सहित), पदनाम आदि शामिल हों।				
16.	सनदी लेखाकार के मामले में, निम्नलिखित का उल्लेख करें: भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की सदस्यता संख्या: (क) आईसीएआईके में पंजीकरण की तिथि: (ख) पंजीकृत फर्म/फर्मों का नाम और पता: (ग) फर्म(ओं) या आपके द्वारा वर्तमान में किए जा रहे लेखापरीक्षा(ओं) का विवरण:				
17.	बैंकर का नाम, शाखा और खाता संख्या (बचत/चाल/ऋण खाते) के साथ, जहां आप प्राथमिक खाताधारक हैं:	बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या
18.	यदि आपके, आपके पति/पत्नी और आपके अव्यस्क बच्चे द्वारा किसी भी संस्था में भौतिक या अभौतिक रूप में किसी भी प्रकार से रखी गई शेयरधारिता का विवरण। (डीमैट/शेयरधारिता प्रमाणपत्र संलग्न करें)				
19.	बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई अन्य जानकारी:				
II. प्रस्तावित निदेशक के प्रासंगिक संबंध:					
20.	बैंक से संबद्ध रिश्तेदारों की सूची, यदि कोई हो [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) और कंपनी (परिभाषा विनिर्दिष्ट) नियम, 2014 के नियम 4 का संदर्भ लें]				
21.	संस्थाओं की सूची जिसमें: (ए) हितबद्ध [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें]; (बी) लाभकारी स्वामित्व [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 और एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियम का संदर्भ लें]; (सी) ट्रस्टी (ट्रस्ट के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें):				

13.	Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company.				
14.	Present occupation (designation, name of the organization and brief write-up on experience)				
15.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organization(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.				
16.	In case a Chartered Accountant, indicate the following: Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI): (a) Date of registration with the ICAI: (b) Name and Address of the registered firm/s: (c) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:				
17.	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings /current / loan accounts) where you are a primary account holder:	Bank Name	Branch	Type of A/c	A/c Number
18.	Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat / shareholding certificate)				
19.	Any other information relevant to directorship of the bank:				
II. Relevant Relationships of proposed director:					
20.	List of relatives, [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014] if any, who are connected with any bank:				
21.	List of entities in which: (a) Interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]: (b) beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]: (c) Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust):				

22.	मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची जिनमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(एनई) के अनुसार पर्याप्त हित रखते हैं।	कंपनी / फर्म का नाम	
		निगमन का देश	
		शेयरों की संख्या	
		प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	
		धारित शेयर का कुल अंकित मूल्य	
		कुल चुकता पूंजी के % के रूप में शेयरधारिता	
		लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ %में)	
23.	विदेश में निगमित तथा भारत में कारोबार करने वाली संस्थाओं में धारिताओं का विवरण।		
24.	बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान में या पूर्व में बोर्ड के सदस्य / सलाहकार आदि रहें हैं (उस अवधि का विवरण देते हुए जिसके दौरान ऐसा पद रहा हो / था)।		
25.	यदि किसी ऐसी संस्था से जुड़े हों जो किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियां करती हों (संगठक के स्वरूप का उल्लेख किया जाना चाहिए), तो उसका विवरण दें।		
26.	यदि कोई स्टॉक ब्रोकर है या शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों में संबद्ध किसी इकाई से जुड़ा है, तो उसका विवरण।		
27.	निधि और गैर-निधि-आधारित सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हो, जो वर्तमान में व्यक्तिगत रूप से और / या ऊपर (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्राप्त की जाती हैं।		
28.	ऐसे मामले, यदि कोई हो, जहां किसी व्यक्ति या उपरोक्त बिंदु (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं ने बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में अतीत में चूक की हो या इरादतन चूककर्ता घोषित किए गए हों।		
29.	निदेशक पद के लिए प्रासंगिक पेशेवर उपलब्धियां।		
<p>* 'पर्याप्त हित' (i) किसी कंपनी के संबंध में, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या उसके पति या पत्नी या अवयस्क बच्चे द्वारा, चाहे अकेले या साथ में, उसके शेयरों में लाभकारी हित धारण करना, जिस पर भुगतान की गई राशि पांच लाख रुपये या कंपनी की चुकता पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है, जो भी कम हो; (ii) किसी फर्म के संबंध में, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या उसके पति या पत्नी या अवयस्क बच्चे द्वारा, चाहे अकेले या साथ में, उसमें धारित लाभकारी हित, जो उक्त फर्म के सभी भागीदारों द्वारा सब्सक्राइब की गई कुल पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।</p>			

22.	List of entities, existing and proposed, in which holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)* of the Banking Regulation Act, 1949.	Name of the company / firm	
		Country of incorporation	
		Number of shares	
		Face Value of each share	
		Total face value of share holding	
		Shareholding as % of total Paid up Capital	
		Beneficial interest (in value as well as % terms)	
		Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013	
23.	Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.		
24.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board / Advisor etc. (giving details of period during which such office is being / was held).		
25.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.		
26.	If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.		
27.	Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed in (21) to (26) above.		
28.	Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (21) to (26) above have defaulted or declared as wilful defaulter in the past in respect of credit facilities Obtained from a bank / NBFC / any other lending institution.		
29.	Professional achievements relevant for the directorship.		
<p>*substantial interest" (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.</p>			

III. प्रस्तावित निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कोई हो:	
30.	(ऐ) किसी पेशेवर संघ/निकाय के सदस्य के रूप में, यदि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है या शुरू हुई है या जिसके परिणामस्वरूप अतीत में दोषसिद्धि हुई है या किसी भी समय किसी पेशे/व्यवसाय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो उसका विवरण।
	(बी) यदि किसी व्यक्तिगत पेशेवर आचरण या गतिविधियों के संबंध में कोई लिखित शिकायत या आरोप का विषय है, तो उसका विवरण।
31.	अभियोजन के विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू किया गया या जिसके परिणामस्वरूप अतीत में स्वयं को या आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए उपरोक्त बिंदु (21) से (26) में सूचीबद्ध किसी भी संस्था के विरुद्ध दोषी ठहराया गया हो।
32.	(बी) यदि किसी व्यक्तिगत पेशेवर आचरण या गतिविधियों के संबंध में कोई लिखित शिकायत या आरोप का विषय है, तो उसका विवरण।
33.	यदि एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है, तो उसका विवरण।
34.	यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत परिकल्पित किसी भी अयोग्यता को आकर्षित करता है, तो उसका विवरण।
35.	यदि दिवालिया घोषित किया गया है या भुगतान निलंबित किया गया है या लेनदारों के साथ समझौता कर लिया गया है, तो उसका विवरण।
36.	यदि विकृत मस्तिष्क का पाया जाता है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है, तो उसका विवरण।
37.	(क) यदि किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक पतन या अन्यथा शामिल है, तो उसका विवरण।
	(ख) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो, तो उसका विवरण।
38.	पूर्णकालिक निदेशक के पद के अलावा यदि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के अधीन कोई लाभ का पद धारण किया हो, तो उसका विवरण।
39.	यदि किसी व्यक्ति या उपरोक्त बिंदु (21) से (26) में से किसी इकाई के रूप में किसी भी पिछले नियोक्ता या सरकारी विभाग या एजेंसी से किसी भी जांच / सतर्कता / जांच के मामलों के अधीन रहे हैं, तो उसका विवरण।
40.	यदि सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/संवैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, तो उसका विवरण।

III. Proceedings, if any, against the proposed director:		
30.	(a) As a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any Profession / occupation at any time, details thereof.	
	(b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof.	
31.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations.	
32.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.	
33.	If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.	
34.	If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.	
35.	If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.	
36.	If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof.	
37.	(a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof.	
	(b) If convicted by any Court of law, details thereof?	
38.	If holding any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole- time director, details thereof.	
39.	If as an individual or any of the entities at (21) to (26) above have been subject to any investigation / vigilance / matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	
40.	If found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by Customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, details thereof.	

41.	यदि किसी विनियामक जैसे कि सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, पेशेवर संगठन, सरकारी एजेंसी, या न्यायालय द्वारा व्यावसायिक संचालक गतिविधियों के कारण फटकार, निंदा, प्रतिबंध, निलंबन, रोक, निषेध या अन्यथा मंजूरी दी गई हो, तो उसका विवरण दें। (हालांकि किसी उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह कॉलम में उन आदेशों और निष्कर्षों के बारे में उल्लेख करें जिन्हें बाद में पूरी तरह से बदल दिया गया है/पूर्णतया रद्द किया गया है, लेकिन यदि बदलने/पूर्णतया रद्द करने का कारण सीमा या अधिकार क्षेत्र की कमी जैसे तकनीकी कारण हैं, और योग्यता के आधार पर नहीं है, तो इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा। यदि आदेश अस्थायी रूप से स्थगित है और अपीलीय/न्यायालय की कार्यवाही लंबित है, तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए)।	
IV. सामान्य जानकारी'		
42.	यदि आप सनदी लेखाकार, अधिवक्ता आदि जैसे पेशेवर हैं और वर्तमान में किसी बैंक में कोई पेशेवर कार्य कर रहे हैं/कर चुके हैं, तो बैंक का नाम और बैंक के साथ जुड़ाव की अवधि सहित उसका विवरण प्रदान करें।	
43.	यदि आप वर्तमान में सांसद/विधायक/एमएलसी हैं या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद पर हैं, तो उसका विवरण प्रदान करें।	
VI. प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, यदि 'उपयुक्त और समुचित' का मूल्यांकन करने के लिए कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी हो, तो उसका विवरण प्रदान करें।		
शपथ पत्र		
मैं पुष्टि करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है। मैं अपनी नियुक्ति के बाद होने वाली सभी घटनाओं के बारे में बैंक को यथाशीघ्र पूरी जानकारी देने का वचन देता हूँ, जो ऊपर दी गई जानकारी से प्रासंगिक हैं।		
स्थान : दिनांक :		प्रस्तावित निदेशक (उम्मीदवार) के हस्ताक्षर
नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)/बोर्ड की टिप्पणी कि वह इस बात से संतुष्ट है कि उपरोक्त जानकारी सत्य एवं पूर्ण है।		
स्थान : दिनांक :		एनआरसी/बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

41.	If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organization, government agency, or court because of professional conductor activities, details thereof. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
IV. General Information:		
42.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/ undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.	
43.	If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.	
VI. In the interest of disclosure and transparency, should there be any other information relevant for assessing 'fit and proper', provide details thereof.		
Undertaking		
I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above.		
Place : Date :	Signature of proposed Director (Candidate)	
Remarks of Nomination and Remuneration Committee (NRC) / Board of having satisfied itself that the above information is true and complete.		
Place : Date :	Signature of the Chair of the NRC / Board	

केनरा बैंक

भारत सरकार का उपक्रम

Canara Bank

A Government of India Undertaking

 सिंडिकेट Syndicate

Together We Can